स्वर्ण जयंती वर्ष
2005 - 2006

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
2005-2006

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वर्ष 2005-2006

प्रभारी मंत्री का नाम	:	**श्री राघवजी**
प्रमुख सचिव का नाम	:	**श्री सुमित बोस**
सचिव का नाम	:	**श्री ए.पी. श्रीवास्तव**
	:	**श्री अनिल श्रीवास्तव**
	:	**श्री प्रवीण गर्ग**
आर्थिक सलाहकार	:	**डा.के.एस.आर.व्ही.एस. चेलम**
संचालक, बजट	:	**श्री व्ही.एल.कान्ता राव**

संचालनालय	:	**आयुक्त/संचालक**
• **संस्थागत वित्त**	:	**श्री प्रवीण गर्ग**
• **कोष एवं लेखा**	:	**श्री अनिल श्रीवास्तव**
• **वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली**	:	**श्री व्ही.एल.कान्ता राव**
• **बीमा तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा**	:	**श्री बी.एस.हीरा**
• **अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज**	:	**श्रीमती सुधा चौधरी**
• **संचालक, पेंशन**	:	**श्री आर.के.मिश्रा**

कम्पनी/निगम का नाम	:	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**
• **मध्यप्रदेश वित्त निगम**	:	**श्रीमती स्मिता गाटे चन्द्रा, प्रबंध संचालक**
• **प्रोविडेंट इंवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड**	:	**श्री के.डी.मेनन, महाप्रबंधक**

अनुक्रमाणिका

अध्याय	खण्ड	शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
1		**वित्त विभाग की भूमिका तथा संरचना**	
	1.1	विभागीय भूमिका	1
	1.2	संरचना	3
	1.3	विभागाध्यक्ष	4
	1.4	निगम /मण्डल	4
2		**संचालनालय कोष एवं लेखा**	
	2.1	सामान्य जानकारी	5
	2.2	अधीनस्थ कार्यालय	5
	2.3	अमला	5
	2.4	मुख्य दायित्व	6
	2.5	उपलब्धियां	7
3		**संचालनालय बीमा तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा**	
	3.1	सामान्य जानकारी	10
	3.2	अमला	11
	3.3	कर्मचारी बीमा सह बचत योजना-2003	11
	3.4	उपलब्धियां	12
4		**संचालनालय संस्थागत वित्त**	
	4.1	सामान्य जानकारी	16
	4.2	अमला	16
	4.3	दायित्व	17
	4.4	परियोजना प्रबंध ईकाई	18
	4.5	राज्य ब्रिस्क योजना	18
	4.6	निक्षेपकों के हित संरक्षण का कार्य	19
	4.7	मध्यप्रदेश मानव विकास प्रतिवेदन	19
	4.8	राज्य साख योजना	19
	4.9	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	19
	4.10	किसान क्रेडिट कार्ड	21
	4.11	तीन वर्ष में कृषि साख को दो गुना करने के प्रयास	21
	4.12	आर.आई.डी.एफ.योजना अंतर्गत नाबार्ड क उच्च ब्याज दर ऋण का समय पूर्व भुगतान	22
	4.13	राज्य शासन द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में धारित अंशपूंजी का विनिवेश	22
	4.14	म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल के एस.एल.आर.बाण्ड की देयताआं का निराकरण	22
	4.15	निजी भागीदारी से अधोसंरचना विकास परियोजना का क्रिन्यान्वयन	22

अध्याय	खण्ड	शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
	4.16	बैंक अतिदेय राशियों की वसूली	23
	4.18	बाह्य वित्त पोषित परियोजनाएं	23
	4.19	महिला नीति का क्रियान्वयन	23
5		**संचालनालय पेंशन**	
	5.1	सामान्य जानकारी	24
	5.2	अमला	25
	5.3	दायित्व	25
	5.4	पेंशन प्रकरणों की प्रगति	26
	5.5	पेंशन कार्य का जिला स्तर पर विकेन्द्रीकरण	26
	5.6	वेतन निर्धारण	27
	5.7	सेवानिवृत्ति पर समस्त पेंशनर्स स्वत्वों का भुगतान	27
	5.8	पेंशन कार्य का अंकेक्षण	28
	5.9	पेंशनर कल्याण मण्डल	28
	5.10	पेंशनर कल्याण कोष	29
	5.11	जिला पेंशनर फोरम का गठन	30
	5.12	महिला नीति पर विभागीय योजना	30
6		**संचालनालय अल्प बचत एव राज्य लॉटरीज**	
	6.1	सामान्य जानकारी	31
	6.2	अधीनस्थ कार्यालय	31
	6.3	अमला	32
	6.4	दायित्व	32
	6.5	अल्पबचत संग्रहण	33
	6.6	अल्प बचत संग्रहण वृद्धि योजनायें	33
	6.7	भाग्योदय उपहार कूपन योजना 2005-2006	33
	6.8	मध्यप्रदेश राज्य लाटरी	34
	6.9	निवेशकों की सुविधा के लिए अल्प बचत वेबसाइट	35
7		**संचालनालय वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली**	
	7.1	सामान्य जानकारी	36
	7.2	अमला	36
	7.3	उपलब्धियां	36
	7.4	कम्प्यूटरीकृत बजट	38
8		**मध्यप्रदेश वित्त निगम**	
	8.1	सामान्य जानकारी	39
	8.2	मुख्य उददेश्य	39
	8.3	उपलब्धियां	39
	8.4	राज्य में पूंजी विनियोजन	40

	8.5	सुधार के प्रयास	41
अध्याय	**खण्ड**	**शीर्षक**	**पृष्ठ क्रमांक**
	8.6	आय में वृद्धि के प्रयास	42
	8.7	निगम द्वारा उठाये गये ग्राहक हितैषी कदम	42
9		**प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड**	
	9.1	सामान्य जानकारी	43
	9.2	उद्देश्य	43
	9.3	कम्पनी की वित्तीय स्थिति	43
10		**मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड**	
	10.1	राज्य शासन की अधोसंरचना परियोजनाएं	44
	10.2	परियोजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था	44
11		**बजट एक दृष्टि में**	
	11.1	संचालनालय कोष एवं लेखा	45
	11.2	संचालनालय बीमा तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा	45
	11.3	संचालनालय संस्थागत वित्त	45
	11.4	संचालनालय पेंशन	45
	11.5	संचालनालय अल्प बचत एवं राज्य लॉटरी	45
	11.6	संचालनालय वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली	45
12		**सामान्य प्रशासनिक विषय**	46
13		**अभिनव योजना**	
	13.1	पेंशन वेतन निर्धारण प्रकरणों की जांच	47
	13.2	सेवानिवृत्ति दिनांक पर समस्त पेंशनरी स्वत्वों का भुगतान	47
	13.3	पेंशनरों की सुविधा के लिए पेंशन वेब साईट	48
	13.4	कोषालय बैंक इंटरफेस	48
14		**विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम/नियम/विधायी आदेश**	49
15		**सारांश**	50

परिशिष्ट

क्रमांक	**शीर्षक**	**पृष्ठ क्रमांक**
परिशिष्ट-1	वित्त विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय	53
परिशिष्ट -2	संस्थाओं का विवरण जिनका आडिट संचालनालय बीमा तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा किया जाता है	54
परिशिष्ट -3	वाह्य वित्त पोषित परियोजनाएं	55

तालिका

तालिका क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
2.1	संचालनालय, कोष एवं लेखा के स्वीकृत पदों की स्थिति	5
2.2	निराकृत पेंशन एवं वेतन निर्धारण प्रकरणों की संख्या	7
2.3	कोष एवं लेखा के निरीक्षण, अंकेक्षण तथा विशेष अंकेक्षण की स्थिति	9
3.1	संचालनालय, बीमा तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा के स्वीकृत, रिक्त तथा प्रतिनियुक्ति पद की स्थिति	11
3.2	बीमा योजनाओं के अंतर्गत प्राप्ति एवं भुगतान की जानकारी	12
3.3	मार्च, 2005 तक संपरीक्षा शुल्क जमा एवं अवशेष की स्थिति,	12
3.4	प्रतिवेदन के प्रसारण की स्थिति	13
3.5	संपरीक्षा आपत्तियां	14
3.6	अधिभार की स्थिति	14
4.1	संचालनालय, संस्थागत वित्त के स्वीकृत पदों का विवरण	16
4.2	बैंकिंग शाखाएं - स्थिति एवं उपलब्धि	20
5.1	संचालनालय पेंशन के स्वीकृत पद की स्थिति	25
5.2	निराकृत पेंशन प्रकरण एवं निराकरण की प्रगति का विवरण	26
5.3	विकेन्द्रीकरण के पश्चात् पेंशन प्रकरणों के निराकरण की प्रगति	27
6.1	संचालनालय, अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज के स्वीकृत पदों की स्थिति	31
6.2	संचालनालय, अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज की जिला स्तर पर संरचना	32
6.3	अल्प बचत संग्रहण की वर्षवार उपलब्धियाँ	33
6.4	अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज द्वारा संचालित योजनायें	33
7.1	संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली के स्वीकृत अमले की स्थिति	36
8.1	वित्त निगम की गत 5 वर्षों में परिचालनगत स्थिति	40
9.1	पी.आई. कम्पनी की वित्तीय स्थिति	43

अध्याय 1

वित्त विभाग की भूमिका तथा संरचना

1.1 विभागीय भूमिका:- मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किए गए निर्देश/अनुदेश के अंतर्गत वित्त विभाग के कार्य को नियम 11 एवं 26 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। जिसका उद्धरण इस प्रकार है:-

11. (एक), कोई भी विभाग, वित्त विभाग से पूर्व परामर्श किये बिना, ऐसे किन्ही भी आदेशों को (वित्त विभाग द्वारा किये गये किसी सामान्य प्रत्यायोजन के अनुसरण में दिये गये आदेशों को छोडकर) प्राधिकृत नहीं करेगा, जो या तो तत्काल या अपने प्रतिप्रभावों द्वारा राज्य की वित्त व्यवस्था को प्रभावित करते हों या जो, विशिष्ट रूप से या तो-

(क) पदों की संख्या या श्रेणी निर्धारण या संवर्गो से या पदों की उपलब्धियों या अन्य सेवा-शर्तो से संबंधित हों, या

(ख) जिनमें किसी भूमि का अनुदान या राजस्व का अभिहस्तांकन या खनिज या वन अधिकारों के संबंध में रियायत, मंजूरी, पट्टा या अनुज्ञप्ति या जल, विद्युत या किसी सुखाचार के संबंध में कोई अधिकार या ऐसी रियायत के संबंध में विशेषाधिकार अंतर्वलित हों, या

(ग) जिनमें किसी भी रूप में राजस्व का कोई त्याग अन्तर्वलित हो,

(घ) सरकार द्वारा कोई गारंटी दिये जाने संबंधी हो।

(दो) किसी भी प्रस्ताव पर, जिस पर इस नियम के उप-नियम (एक) के अधीन वित्त विभाग से पूर्व परामर्श करना अपेक्षित हो, किन्तु जिस पर वित्त विभाग ने सहमति नहीं दी हो, तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी, जब तक परिषद् द्वारा उस प्रभाव का निर्णय न ले लिया गया हो।

(तीन) कोई भी पुनर्विनियोग वित्त विभाग से भिन्न किसी भी विभाग द्वारा ऐसे सामान्य प्रत्यायोजनों के अनुसार ही किया जायेगा, जो कि (प्रत्यायोजन) वित्त विभाग द्वारा किये गये हों, अन्यथा नहीं।

(चार) उस सीमा के सिवाय जिस सीमा तक कि वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये नियमों के अधीन विभागों को कोई शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, किसी भी प्रशासकीय विभाग का प्रत्येक

आदेश, जिसमें कि लेखा परीक्षा में प्रवर्तित की जाने वाली मंजूरी संप्रेषित की गई हो, लेखा परीक्षा प्राधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा संसूचित किया जाना चाहिए।

(पांच) इस नियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं होगा कि वह वित्त विभाग सहित किसी विभाग को विनियोग अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी एक अनुदान से ऐसे दूसरे अनुदान में पुनर्विनियोजन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

26. वित्त विभाग विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यो का प्रभारी रहेगाः-

(एक) वह, शासन द्वारा मंजूर किये गये ऋणों से संबंधित लेखे का प्रभारी होगा और ऐसे ऋणों से संबंधित समस्त संव्यवहारों के वित्तीय पहलुओं पर सलाह देगा।

(दो) वह, अकाल सहायता निधि की सुरक्षा तथा उसके समुचित उपयोग के लिए तथा भविष्य निधि के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

(तीन) वह, करों, शुल्कों, उपकरों या फीस के अधिरोपण, वृद्धि, कमी या समाप्ति के समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगा तथा उन पर प्रतिवेदन देगा।

(चार) वह, राज्य द्वारा गारंटी लेने या देने के समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगा तथा प्रतिवेदन देगा, ऐसे ऋण लेगा, जो सम्यक्रूप से प्राधिकृत किये गये हों, और वह ऋणों के व्यय (सर्विस ऑफ दी लोन्स) या गारंटी उन्मोचन संबंधी समस्त मामलों का प्रभारी होगा।

(पांच) वह, यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि अन्य विभागों के मार्गदर्शन के लिए समुचित वित्तीय नियम बनाए जाते हैं, और यह कि अन्य विभागों तथा उनके अधीनस्थ स्थापनाओं द्वारा उपयुक्त लेखे रखे जाते हैं।

(छः) वह, प्रतिवर्ष राज्य की कुल प्राप्ति तथा संवितरण का अनुमान तैयार करेगा तथा वर्ष के दौरान शासन के शेषों की स्थिति पर नजर रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(सात) बजट तथा अनुपूरक अनुमानों के संबंध में,-

(क) वह, प्रति वर्ष विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का एक विवरण तैयार करेगा और विधान मण्डल के मत के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त अनुदानों के लिए कोई भी अनुपूरक अनुमानों या मांगों को तैयार करेगा।

(ख) इस प्रकार तैयार किए जाने के प्रयोजन के लिए वह संबंधित विभागों से ऐसी सामग्री, जिस पर उसके अनुमान आधारित होंगे, प्राप्त करेगा तथा वह इस प्रकार दी गई सामग्री पर बनाये गये अनुमानों की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगी।

(ग) वह, नये व्यय की समस्त योजनाओं के संबंध में, जिनके लिए अनुमानों में व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया हो, परीक्षण करेगा तथा परामर्श देगा और ऐसी किसी भी योजना के लिए, जिसका इस तरह परीक्षण नहीं किया गया हो, अनुमानों में व्यवस्था करने से इंकार करेगा।

(घ) वह, विधान मण्डल द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति के लिए अपेक्षित, सभी रकमों का राज्य की संचित निधि से विनियोग तथा सदन के समक्ष यथा प्रस्तुत संचित निधि पर प्रभारित व्यय की व्यवस्था करने संबंधी विधेयक के पुरः स्थापन की कार्रवाई करेगा।

(आठ) वह, लेखा परीक्षा अधिकारी से इस आशय का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, कि पर्याप्त मंजूरी के अभाव में व्यय किया जा रहा है, संबंधित विभाग से मंजूरी प्राप्त करने के लिए या आगे व्यय नहीं करने के लिए अपेक्षा करेगा।

(नौ) वह, कार्यकारी पक्ष में विनियोग लेखाओं तथा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही करेगा तथा अन्य विभागों को आवश्यक निर्देश देगा।

(दस) वह, राजस्व के संग्रहण के लिए उत्तरदायी विभागों को संग्रहण की प्रगति तथा पद्धतियों के संबंध में सलाह देगा।

उक्त कार्यो के अतिरिक्त वित्त विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय परिशिष्ट-1 पर अवलोकनीय है।

1.2 **संरचना**:- बजट कार्य के लिए विभाग में नौ बजट शाखाएं हैं। इन बजट शाखाओं के मध्य विभागवार बजट बनाने का कार्य आवंटित है। इसके अतिरिक्त एक प्रशासकीय शाखा, एक केन्द्रीय लेखा कक्ष एक नियम शाखा एवं एक आर्थिक नीति एवं विश्लेषण ईकाई व एक प्रकोष्ठ भी है। प्रशासकीय (स्थापना) शाखा में वित्त विभाग के विभागाध्यक्षों के स्थापना एवं प्रशासकीय कार्य संपादित किया जाता है। नियम शाखा में वित्त विभाग के नियमों/अधिनियमों से संबंधित विषयों को देखा जाता है और उनके संबंध में विभिन्न विभागों को आवश्यक मत/परामर्श दिया जाता है, तथा पेंशन कल्याण संबंधी कार्य देखा जाता है।

केन्द्रीय लेखा कक्ष द्वारा महालेखाकार के प्रतिवेदन पर कार्रवाई की जाती है। आर्थिक विश्लेषण एवं ईकाई द्वारा वित्त आयोग की अनुशंसाओं से संबंधित कार्य सम्पादित किया जाता है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार भी लागू किया गया है।

1.3 **विभागाध्यक्ष:-** विभाग के अंतर्गत निम्न विभागाध्यक्ष कार्यरत हैं :-

1 संचालनालय, कोष एवं लेखा ;

2 संचालनालय, बीमा तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा ;

3 संचालनालय, संस्थागत वित्त ;

4 संचालनालय, पेंशन मध्य प्रदेश ;

5 संचालनालय, अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज ;

6 संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली ।

1.4. **निगम/मण्डल:-** विभाग के अंतर्गत निम्न मण्डल/ निगम/कम्पनी कार्यरत है:-

1 मध्यप्रदेश वित्त निगम ;

2 प्रोविडेंट इंवेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड ;

3 मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान बोर्ड।

अध्याय 2
संचालनालय, कोष एवं लेखा

2.1 सामान्य जानकारी

संचालनालय, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश की स्थापना 2 अप्रेल 1964 को हुई थी । आयुक्त, कोष एवं लेखा संचालनालय कोष एवं लेखा के विभागाध्यक्ष हैं। विभाग की मुख्य गतिविधियों में राजकोष प्रशासकीय नियंत्रण, लेखा प्रशिक्षण, कोष निरीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षण, वित्त सेवा, अधीनस्थ लेखा सेवा तथा अन्य राज्य स्तरीय सेवाओं का प्रबंधन आदि हैं। अप्रैल 2003 से पृथक विभागाध्यक्ष के रूप में संचालनालय पेंशन की स्थापना हुई है, जिससे पेंशन कार्य का पर्यवेक्षण इस संचालनालय से पृथक हो गया है।

2.2 अधीनस्थ कार्यालय

राज्य पुनर्गठन के पश्चात संचालनालय कोष एवं लेखा के अधीनस्थ संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन कार्यालय 07, लेखा प्रशिक्षण शालायें 07, कोषालय 53 तथा 159 उप -कोषालय हैं ।

2.3 अमला

संचालनालय, कोष एवं लेखा के अन्तर्गत कार्यालयों मे स्वीकृत अधिकारियों कर्मचारियों के पदों की स्थिति तालिका 2.1 में दर्शायी गई है।

तालिका 2.1

स.क्र.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आयुक्त	भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य (सुपर टाईम स्केल)	01
2	संचालक (ई.डी.पी.)	तकनीकी	01
3	अपर संचालक	म.प्र. वित्त सेवा	01
4	संयुक्त संचालक (प्रवर श्रेणी वेतनमान)	म.प्र. वित्त सेवा	09
5	उप संचालक (वरिष्ठ वेतनमान)	म.प्र. वित्त सेवा	22
6	सहायक संचालक, लेखाधिकारी, कोषालय अधिकारी, अतिरिक्त कोषालय अधिकारी, प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला (कनिष्ठ वेतनमान)	म.प्र. वित्त सेवा	92
7	सहायक संचालक (ई.डी.पी.)	तकनीकी	01
8	प्रोग्रामर	द्वितीय श्रेणी तकनीकी	01
9	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	52
10	सहायक कोषालय अधिकारी, उपकोषालय अधिकारी, कनिष्ठ लेखाधिकारी, व्याख्याता, सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	म.प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा तृतीय श्रेणी	261

(1)	(2)	(3)	(4)
11	शीघ्रलेखक ग्रेड-1, 2 एवं 3	तृतीय श्रेणी	11
12	लेखा सहायक, उच्च श्रेणी लिपिक, कोष लेखा लिपिक, अधीक्षक, वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	1566
13	दफ्तरी, भृत्य, चौकीदार, सुपरवाईजर	चतुर्थ श्रेणी	486

2.4 मुख्य दायित्व

(i) **कोष प्रचालनः**- राज्य के 53 जिला कोषालय तथा 159 उप-कोषालयों का प्रशासकीय नियंत्रण संचालनालय कोष एवं लेखा के अंतर्गत है। नवीन कोषालयों की स्थापना तथा म.प्र. कोष संहिता के अनुसार कोषालयों के संचालन का दायित्व संचालनालय, कोष एवं लेखा का है ।

(ii) **कोष निरीक्षणः**-प्रदेश के सभी कोषालयों तथा उप -कोषालयों का मध्यप्रदेश कोषालय संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण का दायित्व संचालनालय, कोष एवं लेखा का है ।

(iii) **पेंशन एवं वेतन निर्धारणः**- राज्य के सभी शासकीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण तथा पेंशन प्रकरणों के निराकरण का दायित्व भी संचालनालय कोष एवं लेखा के अधीन है ।

(iv) **आंतरिक लेखा परीक्षणः**- प्रदेश के शासकीय कार्यालयों का लेखा परीक्षण महालेखाकार, मध्य प्रदेश द्वारा किया जाता है। किन्तु कार्यालय के लेखा परीक्षण के लिये संचालनालय, कोष एवं लेखा में एक आडिट शाखा स्थापित है। भोपाल स्थित एवं भोपाल के बाहर विभागाध्यक्ष कार्यालयों का आंतरिक लेखा परीक्षण संचालनालय द्वारा किया जाता है, तथा जिला कार्यालयों का आंतरिक लेखा परीक्षण संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा किया जाता है।

(v) **संवर्ग प्रबंधनः**- म.प्र. वित्त सेवा तथा अधीनस्थ लेखा सेवा का संवर्ग प्रबंधन संचालनालय द्वारा किया जाता है। प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर तथा सहायक ग्रेड-1 (कोषालयीन लिपिक सेवा) राज्य स्तरीय सेवा है, जिसका संवर्ग प्रबंधन भी संचालनालय द्वारा किया जाता है ।

(vi) **साख पत्र प्रक्रियाः**- निर्माण विभाग को जारी किये जाने वाले साख पत्र पर संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन तथा संबंधित मुख्य अभियंता के हस्ताक्षर होते हैं। साख पत्र व्यवस्था का उचित रूप से संचालन का कार्य भी संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा किया जाता है।

(vii) लेखा:-कोषालयों द्वारा मासिक लेखे तैयार कर महालेखाकार, म.प्र. को प्रेषित किये जाते है । समय सीमा में लेखाओं के प्रेषण का अनुश्रवण संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा किया जाता है।

(viii) लेखा प्रशिक्षण:- राज्य के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को लेखा संधारण से संबंधित प्रशिक्षण देने के लिये 07 लेखा प्रशिक्षण शालायें स्थापित हैं। लेखा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत संबंधित कर्मचारियों की परीक्षा ली जाती है एवं परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उत्तीर्णकर्ता को प्रमाणीकरण दिया जाता है। इस प्रकार राज्य के तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के लेखा प्रशिक्षण के दायित्व का निर्वहन भी संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा किया जाता है।

(ix) विभागीय प्रशिक्षण:- संचालनालय कोष एवं लेखा के अन्तर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नवीन नीतियों एवं गतिविधियों से परिचित कराने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका प्रबंधन संचालनालय, कोष एवं लेखा की प्रशिक्षण शाखा करती है ।

2.5 उपलब्धियां

(i) पेंशन व वेतन निर्धारण:- वर्ष 2002-2003 से 31.3.2005 एवं वित्तीय वर्ष 2005-06 में माह दिसम्बर, 2005 तक निराकृत पेंशन एवं वेतन निर्धारण प्रकरणों की संख्या तालिका 2.2 में दी गई है।

तालिका 2.2

वर्ष	पेंशन प्रकरण	वेतन निर्धारण प्रकरण
2002-2003	11340	22791
2003-2004	15700	36045
2004-2005	13012	44456
2005-2006(माह दिसम्बर तक)	12660	9089

(ii) एकीकृत कोषालयीन कम्प्यूटराईजेशन परियोजना का क्रियान्वयन :- राज्य के वित्तीय प्रबंधन में व्यापक सुधार के उददेश्य से रुपये 28.02 करोड़ की लागत से एक वृहद कोषालय कम्प्यूटराईजेशन परियोजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी कोषालयों, उप कोषालयों, संयुक्त संचालक कार्यालयों एवं लेखा प्रशिक्षण शालाओं को कम्प्यूटरीकृत करके व्ही-सेट के माध्यम से राज्य शासन के वित्त विभाग एवं संचालनालय, कोष एवं लेखा से जोडा गया है। इसके परिणामस्वरूप 1 अप्रेल, 2004

से समस्त कोषालयों/उपकोषालयों में कोष एवं लेखा से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं का सम्पादन नवीन साफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जा रहा है।

परियोजना के क्रियान्वयन से निम्न कार्य सुचारु रुप से संचालित किये जा सके है :-

(अ) प्रभावी वित्तीय नियंत्रण :- वित्त विभाग द्वारा विभिन्न विभागों को जारी बजट तथा विभागों द्वारा आहरण अधिकारियों को जारी बजट सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से कोषालयों को प्रेषित किये जा रहे है। इसके फलस्वरुप अनियमित बजट आबंटन की संभावना समाप्त हो गई है। वित्त विभाग द्वारा बजट में की गई कटौती तथा भुगतानों पर लगाये जाने वाले प्रतिबंध को लागू कराने की व्यवस्था भी उपलब्ध है।

(ब) सुदृढ़ कोषालयीन प्रणाली :- कोषालय में प्रस्तुत समस्त आहरणों का परीक्षण, लेखा संधारण, पेंशन-प्राधिकारों का निर्गमन, स्टाम्प संधारण, व्यक्तिगत जमा खातों का संधारण इत्यादि कार्य नवीन साफ्टवेयर के माध्यम से कोषालय के कम्प्यूटर पर संधारित डाटाबेस से पुष्टि कर किया जा रहा है। इस व्यवस्था के लागू होने से कोषालयीन प्रणाली में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा तत्परता सुनिश्चित की जा सकी है।

(स) सूचना प्रबंधन प्रणाली :- राज्य की आय एवं व्यय की अद्यतन वर्गीकृत जानकारी वित्त विभाग एवं अन्य विभागों को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके आधार पर विभिन्न नीतिगत निर्णय लिये जा सकते है।

(द) शासकीय कर्मचारियों का डाटाबेस :- प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के इम्लाई, वेतन तथा पद के डाटाबेस संधारित किये गये है, जिसके आधार पर वेतन देयकों/पेंशन प्राधिकारों की पुष्टि/तैयार करने की व्यवस्था उपलब्ध है। समस्त वेतन निर्धारण प्रकरणों की जांच भी कम्प्यूटर द्वारा की जा रही है।

(इ) परियोजना अंतर्गत विकसित की गई बेवसाईट :- **www.mptreasury.org** पर विभागीय संरचना, वित्त एवं लेखा प्रक्रिया से संबंधित अद्यतन नियम, निर्देशों की जानकारी के साथ आय एवं व्यय की वर्गीकृत जानकारी, बजट आबंटन की अद्यतन स्थिति, जमा कराये गये चालानों का विवरण सूचना के अधकार का ब्योरा इत्यादि संधारित है।

समस्त संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालयों द्वारा कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था अंतर्गत वेतन निर्धारण प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है।

(iii) कोष निरीक्षण एवं आंतरिक अंकेक्षण:- गत तीन वर्षो में संचालनालय, कोष एवं लेखा के अंतर्गत आने वाले कोषालयों/उपकोषालयों में किए गये कुल निरीक्षण तथा विभिन्न विभागों के आंतरिक अंकेक्षण तथा वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित विशेष अंकेक्षण की स्थिति तालिका 2.3 में दर्शायी है।

तालिका 2.3

वर्ष	निरीक्षण	अंकेक्षण	विशेष अंकेक्षण
2002-2003	24	01	03
2003-2004	38	20	01
2004-2005	23	12	02
2005-2006- माह नवम्बर तक	24	09	

(iv) लेखा प्रशिक्षण शाला:- लेखा प्रशिक्षण शाला की परीक्षायें वर्ष में 3 बार आयोजित की जाती हैं। आयोजित परीक्षाओं में वर्ष 2004-05 में 283 परीक्षार्थी शामिल हुए तथा जिसमें से 118 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किये गये। इसके साथ ही वर्ष 2005-06 में माह नवम्बर तक आयोजित परीक्षाओं में 363 परीक्षार्थी शामिल हुये तथा जिसमें से 119 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। आगामी परीक्षा माह जनवरी, 2006 में आयोजित की जावेगी।

(v) प्रशिक्षण:- म.प्र. प्रशासन अकादमी, भोपाल में आयोजित विभागीय प्रशिक्षणों के अन्तर्गत पिछले 3 वित्तीय वर्षों 2002-2003, 2003-2004 एवं 2004-2005 में क्रमशः 225, 171 एवं 211 तथा वर्ष 2005-2006-माह नवम्बर तक 166 अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, एकीकृत कम्प्यूटराईजेशन परियोजना के अन्तर्गत उच्च तकनीकी विषयों पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

(vi) संवर्ग प्रबंधन:- संचालनालय, कोष एवं लेखा के अन्तर्गत स्वीकृत पदों की स्थिति तालिका 2.1 भाग में दी गई है। विभाग के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की क्रमोन्नति/पदोन्नति की कार्यवाही की गई है, तथा पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नति/क्रमोन्नति का लाभ दिया गया है।

(vii) कोषालयीन लेखों का संधारण:- कोषालयों द्वारा महालेखाकार को लेखा प्रथम तथा द्वितीय अनुसूची के रूप में क्रमशः माह की 13 एवं 5 तारीख को भेजे जाते हैं। यहां उल्लेखनीय है कि 1 अप्रेल,2004 से सभी कोषालयों द्वारा कम्प्यूटर जनरेटेड लेखे (फ्लापी सहित) महालेखाकार को भेजे जा रहे है।

(viii) महिला नीतिः- म.प्र. की महिला नीति के बिन्दु क्रमांक 227 के अनुसार महिला नीति के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु कुमारी नीरू शाद, सहायक संचालक को विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत किया गया है।

अध्याय-3

संचालनालय, बीमा तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा

3.1. सामान्य जानकारी

संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा की स्थापना दिसम्बर,1955 में हुई है तथा महालेखाकार व्दारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य इस संचालनालय को स्थानान्तरित हुये । नगर पालिकाओं तथा पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित अधिनियमों को ध्यान में रखते हुये वर्ष 1973 में मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम तथा वर्ष 1974 में मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा नियम-1974 लागू किये गये तथा संपरीक्षा प्रणाली को वैधानिक स्तर दिया गया। इनके अंतर्गत सांविधिक संपरीक्षा कार्य, संपन्न किया जाता है।

ऐसे विभाग/संस्थाएं, जिनकी संपरीक्षा इस संचालनालय द्वारा की जाती है, की जानकारी परिशिष्ट 2 पर है। 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन में नगरीय निकायों, पंचायतों के लेखा संधारण एवं लेखा संपरीक्षा कार्य भी संपन्न करना है, जिसकी कार्यवाही गतिशील है। वर्तमान में पंचायतों के लेखा संधारण हेतु कतिपय प्ररूप भी तैयार हो रहे है, ताकि उक्त कार्य सुचारु रुपेण सम्पन्न हो सके।

वित्तीय वर्ष 2004-2005 में विभाग द्वारा 782 से अधिक स्थानीय निकायों की पश्चात्वर्ती संपरीक्षा संपादित की गई। 103 मूर्धन्य निकायों में आवासीय संपरीक्षा संपन्न हो रही है। संपरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से वित्तीय अनियमितताओं के साथ-साथ महत्वपूर्ण गंभीर प्रकृति की आपत्तियों का उल्लेख करते हुये तत्संबध में राज्य शासन एवं स्थानीय निकायों के संबंधित प्रमुख अधिकारियों का ध्यान तत्परतापूर्वक निराकरण हेतु आकर्षित किया गया है, तथा संयुक्त विचार विमर्श उपरांत विगत तथा वर्तमान संपरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित आपत्तियों के निराकरण तथा लेखा प्रणाली में आवश्यक सुधार लाने हेतु अथक प्रयास किये गये।

3.2 स्वीकृत अमले की स्थिति

आयुक्त, सह-संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के अंतर्गत 7 क्षेत्रीय उप संचालक कार्यालय ग्वालियर, भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन में अवस्थित है तथा दो आवासीय उप संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा कार्यालय, आवासीय इकाई माध्यमिक शिक्षा मण्डल, पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल एवं जवाहरलाल नेहरु

कृषि विश्वविघालय, जबलपुर में अवस्थित है। दिनांक 31.12.2005 को विभाग में स्वीकृत एवं रिक्त पद तथा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थिति तालिका 3.1 में दर्शायी गयी है।

तालिका-3.1

क्र.	संवर्ग	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त	प्रतिनियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आयुक्त सह संचालक	01	01	--	--
2	संयुक्त संचालक	01	01	--	--
3.	उप संचालक	10	09	01	-
4	सहायक संचालक	49	35	14	01
5	ज्येष्ठ संपरीक्षक	183	161	22	02
6	सहायक संपरीक्षक	333	328	07	04
7	मुख्य लिपिक	07	07	--	--
8	कार्यालय अधीक्षक	01	01	--	--
9	शीघ्रलेखक (निज सहायक)	01	01	--	--
10	शीघ्रलेखक (हिन्दी)	01	01	--	--
11	गणक	01	01	--	--
12	रोकडिया	01	01	--	--
13	सहायक ग्रेड-दो	36	31	05	--
14	सहायक ग्रेड-तीन	92	92	--	03
15	आशुलिपि	04	04	--	--
16	सुपरवाईज	01	01	--	--
17	दफतरी	01	01	--	--
18	भत्य	97	78	19	--
19	संदेश वाह	04	03	01	--
20	फर्राश	01	01	--	--
21	ड्रायवर	02	01	01	--
	योग:	**837**	**764**	**73**	**10**

3.3. कर्मचारी बीमा सह बचत योजना-2003

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-13/27/02/ई/चार दिनांक 28.12.2002 द्वारा दिनांक 1.1.2003 से जीवन बीमा संचालनालय समाप्त किया जाकर, यह कार्य संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्यप्रदेश ग्वालियर को सौंपा गया। यह कार्य सौंपने के फलस्वरूप इस कार्यालय का नाम संचालनालय, बीमा तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश, ग्वालियर किया गया है। पूर्ववर्ती जीवन बीमा विभाग द्वारा शासकीय

कर्मियों हेतु मध्य भारत जीवन बीमा योजना 1949, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि योजना 1974, मध्यप्रदेश कर्मचारी समूह बीमा योजना-1985 एवं मध्यप्रदेश शासकीय वाहन चालक दुर्घटना बीमा योजना-1993 समय-समय पर संचालित की गई। वर्तमान में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-13/27/02/ई/चार दिनांक 5.2.2003 तथा दिनांक 19.6.2003 से मध्यप्रदेश शासन के शासकीय सेवकों को कर्मचारी बीमा सह बचत योजना, 2003 दिनांक 1.7.2003 से लागू की गई है।

बीमा योजनाओं के अंतर्गत प्राप्ति एवं भुगतान की उपलब्ध जानकारी निम्नानुसार है :-

तालिका-3.2 **(राशि पूर्ण रुपयों में)**

क्रमांक	**बीमा योजना का नाम**	**प्राप्ति**	**भुगतान**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	मध्य भारत जीवन बीमा	67,95,000	--
2.	म.प्र.शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि योजना 1974	7,32,139	19,28,93,910
3.	मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना 1985	9,43,835	1,30,04,570
4.	म.प्र. शासकीय कर्मचारी बीमा सह बचत योजना 2003	98,05,60,206	84,68,28,592

3.4 उपलब्धियां

(i) संपरीक्षा शुल्क:- दिनांक 1.4.2005 से 31.12.2005 तक संपरीक्षा शुल्क जमा एवं अवशेष की स्थिति, तालिका 3.3 में दशायी गई है।

तालिका 3.3

(राशि पूर्ण रुपयों में)

क्रमांक	**विवरण**	**राशि**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	1.4.2005 को पूर्व अवशेष	54,56,88,967
2.	वर्ष 05-06 की मांग	22,76,97,014
3.	कुल मांग	77,33,85,981
4.	वसूली	11,23,97,875
5.	अवशेष राशि (दिनांक 31.12.2005 तक)	66,09,88,106

(ii) प्रशिक्षण एवं परीक्षायें :- विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय-समय पर प्रशासन अकादमी, भोपाल में विभिन्न प्रशासनिक एवं वित्तीय विषयों पर समय-समय पर प्रशिक्षण कराये जाते है तथा विभागीय तौर पर परामर्शदात्री समिति एवं विभागीय आयोजनों में कर्मचारियों एवं अधिकारियों को समय-समय पर सुझाब एवं जानकारियां दी जाती हैं।

वर्तमान में विभाग के 02 शिशुक्षुओं को व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा विभागीय अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा (एस.ए.एस.) का भी आयोजन किया जा रहा है। जिससे शिशुक्षुओं के साथ-साथ विभागीय कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया जा रहा है। इसके अलावा इस विभाग द्वारा मंत्री परिषद के निर्णयों के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग के 20 बैकलाग पदों की पूर्ति की प्रक्रिया संचालित है जिसके फलस्वरुप इन वर्गो के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना प्रक्रियाधीन है।

(iii) संपरीक्षा प्रतिवेदनः- पश्चात्वर्ती एवं आवासीय संपरीक्षा के अंकेक्षण दलों द्वारा स्थानीय निकायों का अंकेक्षण सम्पादित कर अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रारुपित कर क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किये जाते है। जिनका क्षेत्रीय कार्यालय से अनुमोदन कर प्रसारित किया जाता है।

आवासीय संपरीक्षा के प्रारुप संपरीक्षा प्रतिवेदन आयुक्त-सह-संचालक द्वारा अनुमोदित कर क्षेत्रीय कर्यालय के माध्यम से प्रसारित किये जाते है।अंकेक्षण प्रतिवेदन के प्रसारण प्रतिवेदनों की स्थिति तालिका 3.4 में दी गई है

तालिका 3.4

पूर्व वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन	वर्ष में प्राप्त	कुल	प्रसारित प्रतिवेदन	अवशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
162	668	830	641	189

(iv) निरीक्षणः- स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग के संपरीक्षाधीन मूर्धन्य स्थानीय निकायों यथा नगरपालिक निगम, विश्वविद्यालयों, अ वर्ग की नगरपालिकाएं, विकास प्राधिकरण, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, पाठ्य पुस्तक निगम एवं 'अ' वर्ग की कृषि उपज मण्डी समितियों में कुल संख्या 103 इकाइयों में आवासीय संपरीक्षा प्रणाली लागू है। उनका पर्यवेक्षण सहायक संचालकों एवं निरीक्षण क्षेत्रीय उप संचालक द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा गठित दलों के द्वारा भी समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। शेष स्थानीय निकायों की पश्चात्वर्ती संपरीक्षा सम्पन्न की जाती है। आवासीय संपरीक्षा में 35 सहायक संचालकों द्वारा 88 ज्येष्ठ संपरीक्षक तथा 170 सहायक संपरीक्षक कार्यरत है तथा पश्चातवर्ती संपरीक्षा में 73 ज्येष्ठ संपरीक्षक, 258 सहायक संपरीक्षक कार्यरत है। 35 सहायक संचालक, आवासीय संपरीक्षा में पदस्थ है उनके द्वारा ही पश्चात्वर्ती संपरीक्षा का पर्यवेक्षण किया जाकर कार्य संपादित किया जाता है। संपरीक्षा के दौरान निम्न गम्भीर आपत्तियाँ परिलक्षित हुई हैं, जो तालिका 3.5 में दी गई है।

तालिका-3.5 **(राशि पूर्ण रुपयों में)**

क्रमाक	आपत्ति का प्रकार	31.3.2005	1.4.2005 से 31.12.2005 की स्थिति में
1	2	3	4
01	प्रभक्षण	20,06,837	40,19,845
02	दोहरा भुगतान	3,63,282	2,03,042
03	अनियमित भुगतान	9,32,92,608	8,40,92,748
04	संदिग्ध व्यय	1,17,74,300	32,18,578
05	आर्थिक क्षति	15,59,38,927	27,50,59,545
06	निर्माण कार्य	4,43,13,243	5,15,83,246
07	अपेक्षित वसूली	1,50,03,71,706	3,73,44,17,670
08	अन्य अनियमितातायें	50,73,89,653	27,80,29,617
09	अधिक भुगतान	4,05,38,066	3,54,23,748
	महायोग	**2,35,59,88,622**	**4,46,60,48,039**
	अंकेक्षण के दौरान वसूली	**30,62,675**	**22,15,631**
	आवासीय अंकेक्षण के दौरान कटोत्रा	**1,38,43,277**	**48,88,448**

(V) अधिभारः- मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी आर्थिक हानियों के प्रकरण जो किसी अधिकारी/कर्मचारी की घोर अवहेलना, कदाचरण अथवा तत्परता से पालन न करने या कर्तव्यों की उदासीनता/ अवहेलना बरतने के कारण अथवा अवैधानिक व्यय के कारण हुई हो, ऐसे प्रकरणों में अधिनियम की धारा-11 के प्रावधानों के अनुरुप अधिभार भारित किया जाकर वसूली की कार्यवाही अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया से की जाती है। वर्ष 05-06 में 62 प्रकरणों में नोटिस एवं 25 प्रकरणों में मांग वसूली की प्रक्रिया संचालित है। अधिभार राशि हेतु प्रकरण में विभाग द्वारा अधिभार की स्थिति तालिका 3.6 में दर्शायी गई है।

तालिका 3.6

क्रमांक	विवरण आरोप पत्र	वर्ष	संख्या	राशि	वसूली	अवशेष
01	60	05-06	09	8,91,286	--	8,91,286

(Vi) अंकेक्षण आपत्तियां:- विभाग द्वारा संपादित वैधानिक संपरीक्षा के माध्यम से पश्चात्वर्ती एवं आवासीय संपरीक्षा के दौरान जो आक्षेप प्रकाश में लाये जाते है जिनका निराकरण स्थानीय निकाय के पालन प्रतिवेदन के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर किया जाता है तथा दो लाख से अधिक हानि संबंधी आक्षेपों का निराकरण राज्य शासन द्वारा गठित हाईपावर कमेटी द्वारा किया जाता है। वर्ष 2005-2006 में अवशेष एवं निराकृत आक्षेपों का विवरण इस प्रकार है :-

दिनांक 1.4.05	वर्ष 2004-05 में	कुल आक्षेप	वर्ष में निराकृत	अवशेष आक्षेपों की संख्या

की अवशेष आक्षेपों की संख्या	**प्रकाश में आये आक्षेपों की संख्या**		**आक्षेपों की संख्या**	**(31.12.2004 तक)**
4,43,343	18,531	4,61,874	26,931	4,34,943

उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों के लिये अंकेक्षण शुल्क पुनरीक्षित कर 1 प्रतिशत किया गया है।

(Vii) राज्य की महिला नीति एवं कार्य योजनाः- राज्य की महिला नीति की सतत समीक्षा एवं नीति अनुसार कार्यवाही करने हेतु उप संचालक (मुख्यालय) को जिम्मेदारी सौपी गई है। अनुसूचित जाति/जनजाति के बैकलाग पदों की भर्ती में आदेशानुसार 30 प्रतिशत महिलाओं की नियुक्ति की गई है। विभाग में महिलाओं को प्रायः सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है तथा लिंग के आधार पर विभेद नहीं करते हुए पुरूषों के समान अवसर शासकीय कार्यार्थ दिए जाते हैं।

अध्याय-4

संचालनालय, संस्थागत वित्त

4.1. सामान्य जानकारी

संचालनालय संस्थागत वित्त का गठन नवम्बर 1977 में सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन एक कक्ष के रूप में किया गया। दिसम्बर 1979 में संस्थागत वित्त संचालनालय को वित्त विभाग के अधीन किया गया। मई 1980 में संचालक, संस्थागत वित्त संचालनालय को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया ।

4.2 स्वीकृत अमला

संचालनालय को सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन तथा समन्वयक के कार्यो के दृष्टिगत संस्थागत वित्त संचालनालय में सिर्फ राज्य स्तरीय अमला स्वीकृत है। संचालनालय में कोई क्षेत्रीय अथवा मैदानी अमला नहीं है। संचालनालय के लिये स्वीकृत पदों का विवरण तालिका 4.1 में है:-

तालिका 4.1

पदों की श्रेणी	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
प्रथम श्रेणी	आयुक्त (आई.ए.एस.संवर्ग)	1
प्रथम श्रेणी	आर्थिक सलाहकार	1
प्रथम श्रेणी	अपर संचालक	1
प्रथम श्रेणी	संयुक्त संचालक	1
द्वितीय श्रेणी	प्रोग्रामर	1
तृतीय श्रेणी	कनिष्ठ लेखाधिकारी	1
तृतीय श्रेणी	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	2
तृतीय श्रेणी	स्टेनोग्राफर (ग्रेड-दो)	2
तृतीय श्रेणी	शीघ्रलेखक (ग्रेड-तीन) (हिन्दी/अंग्रेजी)	2
तृतीय श्रेणी	सहायक ग्रेड-एक	1
तृतीय श्रेणी	लेखापाल	1
तृतीय श्रेणी	सहायक ग्रेड-दो	1
तृतीय श्रेणी	सहायक प्रोग्रामर	1
तृतीय श्रेणी	टायपिस्ट	1
तृतीय श्रेणी	सहायक ग्रेड-तीन	5
तृतीय श्रेणी	वाहन चालक	2
चतुर्थ श्रेणी	दफ्तरी	1
चतुर्थ श्रेणी	भृत्य सह फर्राश	6
चतुर्थ श्रेणी	चौकीदार सह स्वीपर	1

संचालनालय में इस प्रकार कुल स्वीकृत पद 32 हैं तथा दैनिक वेतन भोगी के 3 पद हैं। स्वीकृत पदों में से प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सभी पद तथा तृतीय श्रेणी के कुछ पदों पर अन्य विभागों, संस्थाओं से अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए भरे जाते हैं। शेष अन्य पद संचालनालयीन स्थापना के हैं। परियोजना प्रबंध इकाई अंतर्गत स्वीकृत अमले को भी संचालनालय की स्थापना में ही समायोजित किया गया है।

वित्त विभाग के अधीन आर्थिक नीति विश्लेषण इकाई के लिये आर्थिक सलाहकार का एक पद स्वीकृत है जिस पर भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं।

4.3 दायित्व

संचालनालय के मुख्य दायित्व निम्नांकित हैं:-

(1) कृषि, उद्योग, शिक्षा, रोजगार, सामुदायिक विकास आदि से संबंधित शासन प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत वित्त मामलों में विभिन्न संस्थाओं (SLBC/ Banks/ Financial Institutions/ RBI / NABARD / SIDBI/ NHB) के साथ समन्वय।

(2) वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य सम्पादन में आने वाली बाधाओं/ समस्याओं का निराकरण करना।

(3) प्रदेश में बैंकिंग कार्यकलापों का अपेक्षित विस्तार करना।

(4) अग्रणी बैंक योजना, जिला ऋण योजना, राज्य साख योजना से संबंधित कार्य, राज्य और जिला स्तर पर समन्वय समितियों से जुड़े कार्य।

(5) बैंकों की क्षेत्रीय सलाहकार समिति से संबंधित कार्य।

(6) सामान्य बैंकिंग से संबंधित प्रकरणों का निराकरण।

(7) वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषण से संबंधित आंकड़ों का प्रसंस्करण।

संस्थागत वित्त संचालनालय द्वारा समाज के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लाभ हेतु भारत सरकार, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं अन्य वित्त पोषण करने वाली संस्थाओं द्वारा प्रवर्तित योजनाओं के

क्रियान्वयन में सामान्य सम्पर्क एवं मध्यस्थ के कार्य का निर्वाह करते हुए प्रदेश में पर्याप्त संस्थागत वित्त सुलभ कराना है। इस संचालनालय का सीधा सम्पर्क मुख्यतः वाणिज्यिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से है।

4.4 परियोजना प्रबंध इकाई (PMU)

संचालनालय संस्थागत वित्त के अधीन जून, 1996 में परियोजना प्रबंध इकाई की स्थापना की गई। भारत सरकार की नीति अंतर्गत विकासपरक नीतियों को मूर्त रूप देने हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन बाह्य (विदेशी) वित्तीय सहायता के माध्यम से जुटाये जाते हैं। इन नीतियों अंतर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं में एकरूपता लाने के उद्देश्य से भारत सरकार एवं बाह्य वित्त पोषित एजेंसी के मध्य समन्वयक की भूमिका निभाने का कार्य किया जाता है, जिससे कि अधिकाधिक विदेशी सहायता का प्रवाह समयबद्ध कार्यक्रमानुसार सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश में प्रचलित बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं की उच्च स्तरीय सावधिक समीक्षा की जाती है।

4.5 राज्य ब्रिस्क योजना

प्रदेश में विकास के उद्देश्य से वाणिज्यिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा व्यापार जगत के साथ-साथ शासन प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत भी संस्थागत वित्त उपलब्ध कराया जाता है। बैंकों द्वारा प्रदेश में वितरित ऋणों की समयबद्ध वसूली से ही वित्त पोषण की निरन्तरता सुनिश्चित की जा सकती है। बैंकों के समक्ष ऋण वसूली की समस्या के समाधान तथा सुगम वसूली के उद्देश्य से मध्य प्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987 के प्रावधान अंतर्गत ऋण ग्रहिता द्वारा ऋण का समय पर भुगतान नहीं किये जाने पर बैंक द्वारा आर.आर.सी. पेश किये जाने पर शासन के राजस्व विभाग के अमले के माध्यम से वसूली किये जाने का प्रावधान है। बैंकों द्वारा ऋण की वसूली हेतु स्वयं के स्तर पर विशेष इकाई स्थापित करने पर भी वसूली नहीं हो पाने के कारण बैंकों के परामर्श एवं सहयोग से बैंकों की अतिदेय राशियों की वसूली हेतु बैंक वसूली प्रोत्साहन योजना (ब्रिस्क) 1 अप्रेल, 1995 से लागू की गई। यह योजना बैंकों के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है।

ब्रिस्क योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा तथा समन्वय के उद्देश्य से संचालनालय, संस्थागत वित्त के अधीन राज्य ब्रिस्क कक्ष की स्थापना की गई है, जो शासन द्वारा गठित राज्य ब्रिस्क प्रबंध समिति के पर्यवेक्षण में राज्य स्तर पर समन्वय, सतत् समीक्षा, राज्य ब्रिस्क पुरस्कार योजना का संचालन तथा जिला स्तरीय ब्रिस्क खातों के अंकेक्षण की व्यवस्था तथा योजना के संवर्धन से संबंधित अन्य प्रासंगिक एवं संबंधित कार्य करता है।

4.6 निक्षेपकों के हित संरक्षण का कार्य

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एवं भारतीय प्रत्याभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की अनुशंसा पर प्रदेश में निक्षेपकों के हितों के संरक्षण तथा प्रदेश में अनिगमित वित्तीय स्थापनाओं (un-incorporated financial bodies) पर अंकुश रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 लागू किया गया है। अधिनियम में निहित प्रावधान अंतर्गत राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण नियम, 2003 प्रभावशील किये गये है। अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत राज्य शासन द्वारा समस्त जिला न्यायालयों को उनकी अधिकारिता के तहत विशेष न्यायालय का दर्जा देते हुए इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत न्यायालय घोषित करते हुए अधिसूचित किया गया है।

4.7 मध्य प्रदेश मानव विकास प्रतिवेदन

वर्ष 1995 में संचालनालय को प्रदेश के मानव विकास प्रतिवेदन तैयार कर, प्रकाशित कराने के उद्देश्य से समन्वयक का दायित्व सौंपा गया था। संचालनालय द्वारा वर्ष 1995 में प्रथम अंक, 1998 में द्वितीय अंक तथा 2002 में तृतीय अंक जाारी किया है। वर्ष 2006 में चतुर्थ अंक जारी करने का कार्य किया जा रहा है।

4.8 राज्य साख योजना

संचालनालय द्वारा सभी विभागों एवं उपक्रमों द्वारा प्रदेश में संचालित विभिन्न शासकीय वित्त पोषित योजनाओं का क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से जिलेवार, योजनावार एवं विभागवार साख योजना तैयार कराई जाती है। उक्त योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर होता है। प्रदेश के सभी 48 जिलों को अग्रणी बैंक योजना अंतर्गत 9 वाणिज्यिक बैंकों के मध्य विभाजित किया गया है। प्रत्येक जिले की अग्रणी बैंक का प्रमुख दायित्व जिला स्तरीय साख योजना को जिले में कार्यरत सभी बैंकों तथा जिला प्रशासन के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करना है। वर्ष 2005-2006 हेतु राशि रुपये 1339.77 करोड की साख योजना बनाई गई है, वर्ष 2006-2007 हेतु साख योजना बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। राज्य स्तरीय साख योजना संचालनालय की वेबसाईट (www.mp.nic.in/difmp) पर उपलब्ध रहती है।

4.9 राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति

भारतीय रिजर्व बैंक की अग्रणी बैंक योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा गठित एवं त्रैमासिक अन्तराल में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों द्वारा

उपलब्ध कराये गये वित्त पोषण से चलाई जा रही हितार्थी मूलक एवं रोजगार संबंधी शासन प्रायोजित विकाशाील योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में बैंको एवं अन्य वित्तदायी संस्थाओं तथा राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों के मध्य प्रभावी समन्वय का कार्य सुनिश्चित किया जाता है।

प्रदेश में बैंकिंग सुविधाओं के विकास, विशेषकर ग्रामीण अंचलों में अधिकाधिक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्राप्त शिकायत/अभ्यावेदन पर भारतीय रिजर्व बैंक, प्रदेश में कार्यरत बैंकों के राज्य स्तरीय तथा प्रधान कार्यालयों से निरन्तर सम्पर्क कर यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

प्रदेश में बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति :-

तालिका 4.2
बैंक शाखा नेटवर्क

बैंक	ग्रामीण शाखाएं	अर्द्धशहरी शाखाएं	शहरी शाखाएं	कुल
वाणिज्यिक बैक	1038	589	723	2350
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	766	228	46	1040
सहकारी बैंक	691	471	72	1234
निजी बैंक	0	11	50	61
कुल योग	**2495**	**1299**	**891**	**4685**

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग क्षेत्र हेतु निर्धारित राष्ट्रीय मानक एवं प्रदेश की स्थिति

विवरण	निर्धारित मानक	दिनांक 30.6.2005 पर स्थिति
क्रेडिट डिपाजिट अनुपात	60.00	61.65
क्रेडिट इन्वेस्टमेंट डिपाजिट अनुपात	60.00	70.31
प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम	40.00	61.24
कृषि अग्रिम	18.00	41.99
कमोजर वर्ग को अग्रिम	10.00	11.44

प्रदेश में बैंकिंग क्षेत्र के मुख्य सूचकांक

विवरण	मार्च 05 की स्थिति (रुपये करोड में)	सितम्बर 05 की स्थिति (रुपये करोड में)
कुल जमा	57559	57143
कुल अग्रिम	32888	35231
प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम	20139	23429
कृषि अग्रिम	12870	14793
कमजोर वर्ग को अग्रिम	3678	4030
लघु उद्योगो को अग्रिम	1857	1862

वर्ष 2005-06 के लिये निर्धारित वार्षिक साख योजना एवं सितम्बर, 2005 तक की स्थिति

क्षेत्र	लक्ष्य (रुपये करोड में)	प्राप्ति (रुपये करोड में)	प्रतिशत
कृषि क्षेत्र	5940.63	3640.26	61.28
लघु उद्योग क्षेत्र	536.65	172.76	32.19
अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	1808.63	930.61	51.45
योग	**8285.91**	**4743.63**	**57.25**

4.10 किसान क्रेडिट कार्ड

प्रदेश में वर्ष 2004-05 तक कुल 30.01 लाख कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये गये थे। वर्ष 2005-06 हेतु निर्धारित लक्ष्य 5.64 लाख के विरुद्ध माह दिसम्बर 2005 तक 3.84 लाख (67.96 प्रतिशत) किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलबध कराये गये है। इस प्रकार प्रदेश में कुल 33.85 लाख कृषक किसान क्रेडिट कार्ड धारक हो गये है।

4.11. तीन वर्ष में कृषि साख को दो गुना करने के प्रयास

भारत सरकार द्वार वर्ष 2004 में 3 वर्षो में कृषि साख को दो गुना करने का लक्ष्य दिया गया था। प्रदेश में वर्ष 2004-05 में रुपये 4606 करोड के लक्ष्य के विरुऋ रुपये 5632 करोड (122.28 प्रतिशत) का कृषि ऋण वितरित हुआ। वर्ष 2005-06 हेतु कुल रुपये 5940 करोड का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर 2005 तक रुपये 5061 करोड (85.20 प्रतिशत) कृषि ऋण वितरण हो चुका है।

4.12. आर.आई.डी.एफ.योजना अंतर्गत नाबार्ड के उच्च ब्याज दर ऋण का समय पूर्व भुगतान

राज्य सरकार द्वारा नाबार्ड से आर.आई.डी.एफ.योजना अंतर्गत लिये गये उच्च ब्याज दर अर्थात 9 प्रतिशत से 13 प्रतिशत ब्याज दर वाले ऋणों की राशि रुपये 733.13 करोड का समय पूर्व भुगतान हुडकों से नया ऋण सस्ती दर पर प्राप्त कर किया गया । इससे राज्य सरकार के ब्याज भार में काफी कमी हुई।

4.13. राज्य शासन द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में धारित अंशपूंजी का विनिवेश

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधान अनुसार इन बैंकों में राज्य शासन द्वारा 15 प्रतिशत अंशपूंजी धारित है। भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की पुर्नसंरचना कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के चुनिन्दा कमजोर बैकों को चर्यैनत किया गया था। भारत सरकार द्वारा पूर्व वर्ष में रुपये 16,43,30,300/- अवमुक्त किये गये थे। शेष राशि रुपये 17,23,54,830/- वर्ष 2004-2005 में उपलब्ध करा दी गई है।

4.14 म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल के एस.एल.आर.बाण्ड की देयताओं का निराकरण

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय बाजार से ऋण लेने में म.प्र.राज्य विद्यूत मण्डल एवं अन्य उपक्रमों द्वारा एस.एल.आर. बाण्ड में किये गये व्यतिक्रम के कारण निवेशकों द्वारा विनिवेश नहीं करने की कठिनाई सामने आने पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल के रुपये 401 करोड की एस.एल.आर.बाण्ड की देयताओं का निराकरण किया गया। फलस्वरुप वित्तीय बाजार में राज्य सरकार की साख में वृद्धि होने से स्टेट डेवलपमेंट ऋण निर्धारित राशि से कही अधिक के आवेदन प्राप्त हो सके।

4.15 निजी भागीदारी से अधोसंरचना विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन

भारत सरकार द्वारा निजी भागीदारी से देश में अंधोसंरचना परियोजनाओं के विकास हेतु एक योजना प्रारम्भ की गई है। प्रदेश में भी उक्त योजना अंतर्गत अधोसंरचना परियोजनाओं के विकास हेतु कार्यवाही की जा रहीं है। शासन के संबंधित विभागों को परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु कहा गया है। विभागों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उक्त योजना अंतर्गत अधोसंरचना परियोजना के विकास हेतु आवश्यक कदम उठाये जावेगे।

4.16 बैंक अतिदेय राशियों की वसूली

मध्यप्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987 के प्रावधान अंतर्गत वर्ष 2003-2004 में कुल राशि रूपये 46.1 करोड़ की वसूली राजस्व अमले के माध्यम से बैंकों द्वारा की गई। बैंको द्वारा वसूल की गई राशि पर 2.5 प्रतिशत की दर से, कुल राशि रुपये 2.30 करोड का भुगतान वर्ष 2003-2004 हेतु किया गया जिसमें से 0.92 करोड इन्सेन्टिव्ह के रूप में वसूली अधिकारियों को, रूपये 0.92 करोड कलेक्टर कार्यालयों को ब्रिस्क मशीनरी को सुदृढ करने हेतु तथा रूपये 0.46 करोड संचालनालय के ब्रिस्क प्रकोष्ठ को सुदृढ करने हेतु दिये गये।

4.17 बाह्य वित्त पोषित परियोजनाएं

प्रदेश में बाह्य वित्तीय सहायता से संचालित की जा रही परियोजनाओं तथा प्रस्तावित परियोजनाओं की जानकारी परिशिष्ट -3 में दी गई है।

4.18 महिला नीति का क्रियान्वयन

महिला समुदाय को अपेक्षित बैंकिंग साख सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से दिनांक 30 सितम्बर, 2004 की स्थिति में प्रदेश में कार्यरत बैंकों द्वारा 2,85,721 महिला हितार्थियों को राशि रुपये 1,46,886.98 लाख के ऋण उपलब्ध कराये गये।

अध्याय 5
संचालनालय, पेंशन

5.1 सामान्य जानकारी

मध्यप्रदेश में वर्ष 1986 के पूर्व पेंशन प्रकरणों का निराकरण महालेखाकार द्वारा किया जाता था । पेंशन प्रक्रिया में विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुये, राज्य शासन ने पेंशनरों की समस्याओं का शीघ्रता से समाधान करने, उनके लिये संचालित कल्याणकारी कार्यो के क्रियान्वयन पर नजर रखने, तथा ऐसी योजनाओं को विभिन्न संबंधित विभागों के द्वारा सुव्यवस्थित रूप से सम्पादन कराने में प्रशासकीय विभागों को सहायता देने एवं कर्मचारियों की कठिनाईयों एवं समस्याओं के निराकरण के संबंध में विभिन्न विभागों से समन्वय हेतु वर्ष 1986 में पेंशन तथा कर्मचारी कल्याण संचालनालय का गठन कर विभागों में पेंशन प्रकोष्ठ स्थापित किये।

शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति की तारीख को ही पेंशन परिलाभों के प्राधिकार पत्र प्राप्त हो जाएं इस उद्देश्य से राज्य शासन ने 1995 में पेंशन के कार्य का संभागीय स्तर पर विकेन्द्रीकरण का निर्णय लिया। पेंशन कार्य का पूरी तरह विकेन्द्रीकरण हो जाने के फलस्वरूप शासन द्वारा पेंशन तथा कर्मचारी कल्याण संचालनालय को दिनांक 31.3.1997 से समाप्त किये जाने का निर्णय लिया। पेंशन संचालनालय समाप्ति के फलस्वरूप वैकल्पिक व्यवस्था हेतु संचालनालय कोष एवं लेखा के अधीन पेंशन प्रकोष्ठ का गठन किया गया ।

शासकीय कर्मियों की सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन स्वीकृत करने की वर्तमान प्रक्रिया में अनेक जटिलताओं के कारण पेंशन देने की प्रक्रियाओं का परीक्षण कर उसकी खामियों को दूर करने, पेंशनरों के हित में पेंशन की वर्तमान प्रक्रिया एवं नियमों का आगे और सरलीकरण करने और नयी व्यवस्था सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। उक्त समिति की अनुशंसाओं को शासन द्वारा मान्य कर पेंशनरों के हित में पेंशन प्रक्रिया एवं नियमों का सरलीकरण करते हुये पेंशन/ग्रेच्युटी प्राधिकार पत्र जारी किये जाने की वर्तमान व्यवस्था संभागीय संयुक्त संचालक के स्थान पर कोषालय स्तर पर पेंशन विकेन्द्रीकरण का निर्णय लिया गया। इसके फलस्वरूप एवं परिवर्तित व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पूर्व में गठित पेंशन प्रकोष्ठ के प्रभारी विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का पदनाम परिवर्तित कर संचालक, पेंशन किया गया तथा संचालक, पेंशन को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया।

5.2 स्वीकृत अमले की स्थिति

संचालक पेंशन के अधीन स्वीकृत पद तालिका 5.1. में दर्शाये है।

तालिका 5.1

स.क्र.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	संचालक	प्रथम श्रेणी	01
2.	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी	01
3.	उप संचालक	प्रथम श्रेणी	01
4.	सहायक संचालक	द्वितीय श्रेणी	02
5.	प्रोग्रामर	द्वितीय श्रेणी	01
6.	कार्यालय अधीक्षक	तृतीय श्रेणी	01
7.	अंकेक्षण अधिकारी	तृतीय श्रेणी	04
8.	स्टेनोग्राफर	तृतीय श्रेणी	03
9.	सहायक ग्रेड-1	तृतीय श्रेणी	02
10.	सहायक ग्रेड-2	तृतीय श्रेणी	06
11.	सहायक ग्रेड-3	तृतीय श्रेणी	04
12.	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	02
13.	दफ्तरी	चतुर्थ श्रेणी	01
14.	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	06
15.	चौकीदार	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर	01
16.	फर्राश(अंशकालीन)/स्वीपर(अंशकालीन)	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर	01
17.	वाटर मैन	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर	01
		योग	**38**

5.3 दायित्व

पेंशनर्स के स्वत्वों एवं उनकी सामान्य समस्याओं के निराकरण हेतु पेंशन संचालनालय को निम्नांकित दायित्व सौंपे गये हैं :-

1- विभिन्न संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन/समस्त कोषाधिकारियों के मध्य पेंशन संबंधी मामलों में समन्वयकारी भूमिका ।

2- पेंशनर्स की समस्याओं का निराकरण ।

3- पेंशन नियमों का सरलीकरण एवं अद्यतनीकरण ।

4- पेंशन कार्य का अंकेक्षण ।

5- पेंशन कल्याण मंडल तथा पेंशन कल्याण कोष का संचालन ।

6- पेंशन संबंधी मामलों में परामर्श देना ।

7- समस्त सेवानिवृत्ति परिलाभो/समस्याओं से संबंधित मामलों के लिए शासन के नोडल स्थान के रूप में कार्य ।

5.4 पेंशन प्रकरणों की प्रगति

विभागीयकरण योजना के अंर्तगत पेंशन संचालनालय द्वारा कुल 85,250 पेंशन प्रकरण निराकृत किये गये। दिनांक 1 जून, 1995 से पेंशन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण कर पेंशन कार्य समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को सौंप दिया गया। विकेन्द्रीकरण के पश्चात अर्थात दिनांक 1.6.95 से 31.3.03 तक कुल 1,36,353 पेंशन प्रकरण निराकृत किये गये हैं । निराकरण की प्रगति का विवरण तालिका क्रमांक 5.2 पर है।

तालिका 5.2

स. क्र.	संभाग का नाम	वर्ष 95-96	वर्ष 96-97	वर्ष 97-98	वर्ष 98-99	वर्ष 99-2000	वर्ष 2000-01	वर्ष 01-02	वर्ष 02-03	योग
1	भोपाल - होशंगाबाद	4150	3017	3613	2287	988	2904	3640	2439	23038
2	इंदौर	2325	2201	2304	1596	980	2126	2689	1608	15829
3	ग्वालियर	2676	3363	3008	1928	858	2199	2454	1941	18427
4	जबलपुर	1598	4350	2959	3682	982	2525	3506	2105	21707
5	रायपुर/बस्तर	2557	2841	3044	2602	562	1023	0	0	12629
6	बिलासपुर	2493	1945	2171	1549	861	657	0	0	9676
7	रीवा	1711	3152	2018	1737	477	1155	1865	1280	13395
8	सागर	1873	1262	1617	1743	286	1128	1603	999	10511
9	उज्जैन	1651	1379	1835	1364	611	1477	1856	968	11141
	योग:-	**21034**	**23510**	**22569**	**18488**	**6605**	**15194**	**17613**	**11340**	**136353**

5.5 पेंशन कार्य का जिला स्तर पर विकेन्द्रीकरण

राज्य शासन द्वारा पेंशन कार्य का कोषालय में विकेन्द्रीकरण कर यह कार्य कोषालय अधिकारियों को सौंपा गया है। पेंशन की इस व्यवस्था के फलस्वरूप संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन कार्यालय द्वारा निष्पादित किया जाने वाला पेंशन कार्य वापस लिया गया है, तथा ऐसे जिले जहां एक से अधिक कोषालय है, वहां पर उक्त प्राधिकार पत्र उसी कोषालय द्वारा जारी किये जायेगें, जिस कोषालय से कर्मचारी का वेतन आहरित होता रहा है। भोपाल स्थित सभी विभागाध्यक्ष कार्यालय के अधीनस्थ सभी श्रेणी के कर्मचारियों के पी.पी.ओ./जी.पी.ओ./ कम्यूटेशन प्राधिकार पत्र संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, भोपाल संभाग द्वारा जारी किये जाते हैं। भोपाल के बाहर स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों के शासकीय सेवको के पेंशन प्राधिकार पत्र संबंधित कोषालय अधिकारी द्वारा ही जारी किये जायेंगें।

पेंशन कार्य का कोषालय में विकेन्द्रीकरण के पश्चात् (नवम्बर,2002 से दिसम्बर,2005) तक कुल 47969 पेंशन प्रकरण निराकृत किये गये। प्रकरणों के निराकरण की प्रगति तालिका क्रमांक 5.3 में है।

तालिका 5.3

वित्तीय वर्ष 2002-03 (दि. 1.10.02 से 31.3.03 तक)	**वर्ष 2003-04**	**वर्ष 2004-05**	**वर्ष 2005-06 (माह दिसम्बर-05)**	**जारी पी.पी.ओं. की कुल संख्या**
2142	15700	17467	12660	47969

भविष्य में सेवानिवृत्त के दिनांक को ही पेंशन प्राधिकार पत्र सेवानिवृत्त कर्मचारी को प्रदाय किये जावें, इस संबंध में समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालय प्रमुखों से एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। पेंशन प्रकरणों के लंबित रहने एवं निराकरण के कार्य की प्रत्येक सप्ताह वित्त विभाग में भी प्रमुख सचिव द्वारा समीक्षा की जा रही है, जिसके कारण संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, भोपाल संभाग एवं प्रदेश के समस्त कोषालयों में सेवानिवृत्त हो चुके शासकीय सेवकों के प्राप्त पेंशन प्रकरण निराकरण हेतु लंबित नहीं है।

5.6 वेतन निर्धारण

शासन की नीति के अनुसार शासन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के उद्देश्य से संभागीय संयुक्त संचालकों द्वारा वेतन निर्धारण के प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है । इसके लिये उनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर पेंशन शिविर भी आयोजित किये जा रहे है । विगत वित्तीय वर्ष 2003-2004 में समस्त संभागों से प्राप्त जानकारी अनुसार कुल 36045, वर्ष 2004-2005 में कुल 47714 वेतन निर्धारण प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा चालू वित्तीय वर्ष 2005-2006 में माह दिसम्बर, 2005 तक कुल 9089 वेतन निर्धारण के प्रकरणों का निराकरण किया गया है।

5.7 सेवानिवृत्त दिनांक पर समस्त पेंशनरी स्वत्वों का भुगतान

सेवानिवृत्ति के पूर्व ही पेंशनर के समस्त स्वत्वों का निराकरण हो जाये इस उददेश्य से कोषालयीन कम्प्यूटराईजेशन परियोजना के अंतर्गत आगामी दो वर्षो में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों की सूची स्वतः प्राप्त किये जाने की व्यवस्था रखी गयी है।

5.8 पेंशन कार्य का अंकेक्षण

पेंशन कार्य के कोषालय में विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप समस्त कोषालय अधिकारियों द्वारा किये जा रहे पेंशन कार्य का पेंशन संचालनालय द्वारा अंकेक्षण का कार्य किया जा रहा है । पेंशन संचालनालय द्वारा कोषालयों के पेंशन कार्य का अंकेक्षण निम्नानुसार किया गया :-

स.क्र.	**वर्ष 2003-04 में किये गये अंकेक्षण (कोषालय का नाम)**	**स.क्र.**	**वर्ष 2004-05 में किये गये अंकेक्षण (कोषालय का नाम)**
01.	जिला कोषालय, गोरखी, ग्वालियर	01.	जिला कोषालय, खण्डवा
02.	मोतीमहल कोषालय, ग्वालियर	02.	जिला कोषालय, इन्दौर
03.	जिला कोषालय, भोपाल	03.	सिटी कोषालय, इन्दौर
04.	विन्ध्याचल कोषालय, भोपाल	04.	जिला कोषालय, धार
05.	वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल	05.	जिला कोषालय, खरगौन
06.	जिला कोषालय, सीहोर	06.	जिला कोषालय, बडवानी
07.	जिला कोषालय, रायसेन	07.	जिला कोषालय, रतलाम
08.	जिला कोषालय, मुरैना	08.	जिला कोषालय, झाबुआ
09.	जिला कोषालय, दतिया	09.	जिला कोषालय, जबलपुर
10.	जिला कोषालय, विदिशा	10.	सिटी कोषालय, जबलपुर
		11.	जिला कोषालय, नरसिंहपुर
		12.	जिला कोषालय, मण्डला
		13.	जिला कोषालय, सिवनी
		14.	जिला कोषालय, डिण्डौरी
		15.	जिला कोषालय, कटनी

5.9 पेंशनर कल्याण मंडल

राज्य शासन द्वारा पेंशनरों की समस्याओं पर सतत् विचार कर निराकरण करने के लिए पेंशनर कल्याण मंडल का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न पेंशनर संघों के 6 प्रतिनिधि नामांकित होते है। इसकी बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वर्ष में दो बार होती है। मंडल का कार्यकाल दो वर्ष का होता है। वर्तमान मंडल का पुर्नगठन दिनांक 28.3.2005 को हुआ है। पुर्नगठित मंडल की बैठक दिनांक 17.11.2005 को आयोजित की गई।

5.10 पेंशनर कल्याण कोष

शासन द्वारा राज्य के पेंशनरों एवं उनके परिवार के सदस्यों की लंबी अथवा गंभीर प्रकार की बीमारी, दुर्घटना, अपंगता अथवा अंधत्व जैसी दैवी विपदा के समय वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के उद्देश्य से रूपये 10.00 लाख की राशि से पेंशनर कल्याण कोष स्थापित किया गया है।

पेंशनर कल्याण मंडल के 6 अशासकीय सदस्यों में से 3 सदस्यों को लेकर एक कार्यकारिणी समिति प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में गठित की गई है। समिति की विगत बैठक दिनांक 23.9.2005 को आयोजित की गई थी जिसमें 155 प्रकरणों में कुल राशि रुपये 1,89,246/- की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। कोष की स्थापना वर्ष 1988 से अभी तक कुल 2761 प्रकरणों में रुपये 48,88,185/- मात्र की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है।

जिसकी वित्तीय वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :-

स.क्र.	**वित्तीय वर्ष**	**बैठकों की संख्या**	**स्वीकृत प्रकरणों की संख्या**	**स्वीकृत राशि**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
01.	1989-1990	02	28	31,900/-
02.	1990-1991	04	45	46,400/-
03.	1991-1992	04	48	81,377/-
04.	1992-1993	02	56	83,174/-
05.	1993-1994	04	151	2,05,314/-
06.	1994-1995	06	198	2,98,138/-
07	1995-1996	02	147	1,52,140/-
08.	1996-1997	04	335	6,56,917/-
09.	1997-1998	03	309	8,92,260/-
10.	1998-1999	0	0	00
11.	1999-2000	01	367	10,87,780/-
12.	2000-2001	03	445	4,35,595/-
13.	2001-2002	01	127	1,72,581/-
14..	2002-2003	02	140	2,11,290/-
15.	2003-2004	01	1	1,06,405/-
16.	2004-2005	02	208	2,18,953/-
17.	2005-2006	02	156	2,07,961/-
	योग	**43**	**2761**	**48,88,185**
पेंशनर के दिवंगत होने से राशि वापस जमा (-)				**45,642/-**
कुल योग				**48,42,543/-**

5.11 जिला पेंशनर फोरम का गठन

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य पेंशनर कल्याण मंडल की बैठक दिनांक 21.10.03 में लिये गये निर्णयानुसार सलाहकार समितियों तथा जिले एवं संभाग स्तर पर गठित अन्य समस्त समितियों को समाप्त कर जिले स्तर पर जिला पेंशनर फोरम का सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-11/2/03/15/क.क. दिनांक 23.10.2003 द्वारा गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत पेंशनर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है । जिला पेंशनर फोरम का मुख्य कार्य पुराने पेंशन प्रकरणों को ज्ञात करने, सुलझाने एवं पेंशनरों की कल्याणकारी गतिविधियों में सहायता करना है।

5.12 महिला नीति पर विभागीय योजना

मध्यप्रदेश की महिला नीति के बिन्दु क्रमांक 227 के अंतर्गत जानकारी निरंक है, क्योंकि पेंशन संचालनालय द्वारा पेंशनरों को मार्गदर्शन दिया जाता है। जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त महिला एवं पुरुष शासकीय सेवक सम्मिलित है।

अध्याय 6

संचालनालय, अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज

6.1 सामान्य जानकारी

संचालनालय अल्प बचत की स्थापना वर्ष 1966 में हुई एवं अगस्त 1978 में लाटरीज संचालनालय का संविलयन कर संचालनालय अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज का गठन किया गया। संचालनालय अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज के अधीन 45 जिला कार्यालय कार्यरत हैं। राज्य स्तर पर अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज संचालनालय और जिला स्तर पर जिला अल्प बचत कार्यालय कार्यरत है। संचालनालय स्तर पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन कराने एवं उनकी समीक्षा एवं अधीनस्थ कार्यालयों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय नियंत्रण रखने का कार्य किया जाता है।

6.2 अधीनस्थ कार्यालय

संचालनालय के अधीन 7 संभागीय कार्यालयों में से, भोपाल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर तथा रीवा को छोड़कर, शेष संभागों में 2 वरिष्ठ जिला अल्प बचत अधिकारी पदस्थ हैं। शेष 41 जिलों में से 1 जिले में वरिष्ठ जिला अल्प बचत अधिकारी, 19 जिलों में जिला अल्प बचत अधिकारी पदस्थ हैं एवं शेष जिलों में क्षेत्रीय सहायक अथवा अधीनस्थ लिपिकीय कर्मचारियों से कार्य कराया जा रहा है। अधीनस्थ कार्यालयों में भारत सरकार की अल्प बचत योजनाओं का प्रचार-प्रसार एवं अभिकर्ताओं की नियुक्ति तथा उसके पश्चात् नियत समय अन्तर पर नवीनीकरण तथा संग्रहण बढ़ाने से संबंधित अन्य कार्यो का क्रियान्वयन जिलाध्यक्ष के नियंत्रण में किया जाता है। जिला स्तर पर संरचना तालिका 6.2 में दी गई है।

तालिका 6.2

क्र.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	वरिष्ठ जिला अल्प बचत अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	03
2	जिला अल्प बचत अधिकारी	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	19
3	क्षेत्रीय सहायक	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	34
4	सहायक ग्रेड-1	तृतीय श्रेणी	04
5	सहायक ग्रेड-3	तृतीय श्रेणी	07
6	वाहन चालक (आकस्मिकता निधि)	तृतीय श्रेणी	01
7	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	20
		योग	**88**

6.3 अमला

संचालनालय के अंतर्गत स्वीकृत पदों का विवरण तालिका 6.1 में दिया गया है।

तालिका 6.1

स.क्र.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
01	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा	01
02	संयुक्त संचालक	म.प्र. वित्त सेवा	01
03	सहायक संचालक	द्वितीय श्रेणी	01
04	लेखाधिकारी	म.प्र. वित्त सेवा	01
05	शीघ्र लेखक	तृतीय श्रेणी	02
06	सहायक ग्रेड-1	तृतीय श्रेणी	07
07	लेखापाल	तृतीय श्रेणी	01
08	सहायक ग्रेड-2	तृतीय श्रेणी	06
09	सहायक ग्रेड-3	तृतीय श्रेणी	07
10	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	01
11	दफतरी	चतुर्थ श्रेणी	01
12	जमादार	चतुर्थ श्रेणी	01
13	भृत्य/फर्राश	चतुर्थ श्रेणी	05
14	चौकीदार	चतुर्थ श्रेणी	01
15	वाहन चालक	आकस्मिकता निधि से	02
16	स्वीपर	चतुर्थ श्रेणी(आकस्मिकता निधि से)	01
		योग	**39**

6.4 दायित्व

विभाग का मुख्य उददे्श्य राज्य के विकास के लिये घरेलू अल्प बचतों को भारत सरकार की अल्प बचत योजना में विनियोजन करने हेतु आम जन को प्रेरित करना है। इसके लिये विभाग द्वारा भारत सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार बड़े पैमाने पर प्रदेश भर में किया जाता है। इस प्रयोजन से उपहार कूपन प्रदान करने हेतु 'भाग्योदय योजना' का भी संचालन किया गया था।

विभाग के उपरोक्त दायित्वों के अंतर्गत प्रदेश में किये जा रहे संग्रहण का 100 प्रतिशत भाग भारत सरकार से प्रदेश सरकार को दीर्घ कालीन ऋण के रुप में प्राप्त होता है जिसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विकास कार्य में किया जाता है तथा इस राशि में से 40 प्रतिशत debt swap के लिये उपयोग किया जाता है।

अल्प बचत योजनाओं में अधिकाधिक संग्रहण के लिये विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार, शिविर, सेमीनार, संगोष्ठी, आयोजित की जाती है एवं लक्ष्य की पूर्ति हेतु एजेन्टों की नियुक्ति एवं निर्देशन भी किया जाता है।

6.5 अल्प बचत संग्रहण:- अल्प बचत संग्रहण की वर्षवार उपलब्धियाँ तालिका 6.3 में दी गई है।

तालिका 6.3

(राशि करोड रुपयों में)

क्रमांक	**वर्ष**	**सकल संग्रहण**	**शुद्ध संग्रहण की उपलब्धियाँ**
01.	1994-1995	1124.68	499.01
02.	1995-1996	1260.26	546.05
03.	1996-1997	1353.62	576.34
04.	1997-1998	1775.32	858.01
05.	1998-1999	2117.73	1133.18
06.	1999-2000	2657.25	1341.32
07.	2000-2001	2209.86	1038.89
08.	20012002	2677.71	1373.57
09.	2002-2003	3799.67	1953.38
10.	2003-2004	4576.74	2256.74
11.	2004-2005	5446.36	3298.65
12.	2005-2006	4745.98 दिसम्बर,2005 तक	1947.89 दिसम्बर, 2005 तक

6.6 अल्प बचत संग्रहण वृद्धि योजनायें

मध्यप्रदेश में अल्प बचत योजनाओं के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार योजनायें संचालित की गई है:-

तालिका 6.4

क्र.	**योजना का नाम**	**वित्त वर्ष**	**पुरस्कारों की संख्या**	**पुरस्कारो की कुल राशि (राशि लाखों में)**	**वित्तीय वर्ष में हुआ शुद्ध संग्रहण (राशि करोडों में)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1.	निःशुल्क उपहार कूपन योजना	2001-2002	26671	121.52	1,373.57
2.	भाग्योदय योजना	2002-2003	72180	1237.38	1,953.38
3.	भाग्योदय योजना 2003-2004	2003-2004	6888	693.00	2256.74
4.	सिंहस्थ बम्पर आफर	2003-2004 (15.2.2004से 31.3.2004)	24	67.32	संग्रहित राशि क्रमांक-3 में शामिल है

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	भाग्योदय योजना 2004-2005	2004-2005	6667	544.42	3298.65
6.	जिला योजना	2004-2005	प्रत्येक जिले में कलेक्टर द्वारा निर्धारित की गई योजना अनुसार	114.00	संग्रहित राशि क्रमांक-5 में शामिल है
7.	भाग्योदय योजना 2005-2006	2005-2006	7920	564.15	1947.89 दिसम्बर,05 अंत तक
8.	जिला योजना	2005-2006	प्रत्येक जिले में कलेक्टर द्वारा निर्धारित की गई योजना अनुसार	114.00	संग्रहित राशि क्रमांक-7 में शामिल है

6.7 भाग्योदय उपहार कूपन योजना-2005-2006

मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 1 मई, 2005 से भाग्योदय उपहार कूपन योजना 2005-2006 प्रांरभ की गई है। इस योजना में भी रुपये 5,000/- के निवेश पर जमाकर्ता को एक कूपन निःशुल्क दिये जाने का प्रावधान था। राज्य शासन द्वारा दिनांक 1 दिसम्बर 2005 से निःशुल्क कूपन का प्रदाय बन्द किया गया है। योजना का लाभ निवेशकर्ताओं को मान्य की गई अल्प बचत योजनाओं में निवेश करने पर प्राप्त होता है। इसके साथ ही अल्प बचत अभिकर्ताओं को योजना अवधि में कराये गये निवेश पर राज्य शासन द्वारा 1/2 प्रतिशत अतिरिक्त कमीशन भी प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान किया जाता है। दिनांक 1.10.2005 से पी.पी.एफ. एवं वरिष्ठ नागरिक जमा योजना पर 1/2 प्रतिशत कमीशन भी समाप्त किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये शासन द्वारा रुपये 3300 करोड का शुद्ध संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध 3298.65 करोड का शुद्ध संग्रहण हुआ है, जो वर्ष 2003-04 से 1042.09 करोड अधिक है। चालू वर्ष 2005-2006 में रुपये 3220 करोड लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर,2005 के अंत तक रुपये 1947.89 करोड का शुद्ध संग्रहण हो चुका है, वर्ष के शेष माहों में लक्ष्य प्राप्ति की संभावना है।

6.8 मध्यप्रदेश राज्य लाटरी

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 7.5.99 के अन्तर्गत राज्य सरकारों को अन्य प्रदेशों की लाटरियों पर प्रतिबंध लगाने के अधिकार दिये गये हैं, बशर्ते राज्य लाटरी फ्री जोन घोषित हो । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा दिनांक 14.5.99 को अधिसूचना जारी कर मध्यप्रदेश

राज्य के भीतर अन्य राज्यों की लाटरी बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। वर्तमान में म.प्र. राज्य में लाटरी व्यवसाय पूर्णतः प्रतिबंधित है।

6.9 निवेशकों की सुविधा के लिए अल्प बचत वेबसाईट

अल्प बचत योजनाओं की जानकारी संबंधी एक वेबसाईट **www.mpsmallsavings.nic.in** का प्रारंभ संचालनालय के द्वारा किया गया। वेबसाईट में अल्प बचत योजनाओं, प्रोत्साहन योजनाओं, एजेन्टों आदि की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

अध्याय 7

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली

7.1 सामान्य जानकारी

वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली का गठन वर्ष 1987 में राज्य के आय-व्यय पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया गया था। मार्च 1989 से संचालनालय ने कार्य प्रारंभ किया तथा तकनीकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास प्रारंभ किये । वर्ष 1991-92 से राज्य शासन के संपूर्ण बजट कार्य को कम्प्यूटर के माध्यम से संकलित किया जा रहा है। वार्षिक बजट से संबंधित समस्त आंकड़ों के कम्प्यूटर पर उपलब्ध होने से आवश्यक सूचनाएं उच्च स्तर पर तत्काल तथा आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाना संभव हो सका है।

7.2 स्वीकृत अमले की स्थिति

संचालक बजट ही संचालक वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली का कार्य देखते हैं। वर्तमान में संचालनालय के अतिरिक्त अन्य कोई अधीनस्थ कार्यालय नही है। अमले की स्थिति तालिका 7.1 में दी गई है।

तालिका 7.1

क्रमांक	पदनाम	श्रेणी	पद संख्या
1	अपर संचालक	प्रथम श्रेणी	01
2	सहायक संचालक	द्वितीय श्रेणी	01
3	अधीक्षक	तृतीय श्रेणी	01
4	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	04
5	शीघ्रलेखक	तृतीय श्रेणी	01
6	सहायक ग्रेड- 3	तृतीय श्रेणी	01
7	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	01
8	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	03
9	वाहन चालक	जिलाध्यक्ष दर पर	01
10	भृत्य	जिलाध्यक्ष दर पर	01
		योग	**15 पद**

7.3 उपलब्धियाँ

संचालनालय जिला बजट तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय का भी कार्य करता है। विभिन्न विभागों द्वारा विधान सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले जिला बजट के साहित्य में एकरुपता बनी रहे, इस

उद्देश्य से संचालनालय द्वारा जिला बजट के लिए सॉफ्टवेयर का विकास किया जाकर संबंधित विभागों को प्रदाय किया गया। जिला बजट सॉफ्टवेयर के परिचालन हेतु विभिन्न विभागों को तकनीकी मार्ग दर्शन प्रदान किया गया।

संचालनालय द्वारा वित्त विभाग के लिये वेब साईट www.mp.nic.in/finance भी विकसित की गई है, जिसमें वित्त विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों को दर्शाया गया है। इस वेब साईट के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं :-

(i) वित्त विभाग की सामान्य जानकारीः- विभाग द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य, संगठन चार्ट, विभाग में पदस्थ अधिकारियों की जानकारी,

(ii) विभाग के अधीनस्थ कार्यरत संचालनालय/निगम/संस्थाओं की जानकारी, नियमों /अधिनियमों की जानकारी,

(iii) विभाग द्वारा पिछले पांच वर्षों में जारी किये गये आदेशों/अधिसूचनाओं की वर्षवार, जानकारी आदि।

(iv) विधान सभा में प्रस्तुत किये गये मुख्य बजट की जानकारी, वित्त सचिव का स्मृति पत्र, खण्ड-1, खण्ड-2, खण्ड-3, खण्ड-4, खण्ड-5 एवं विभागों की विभिन्न मांग संख्याओं में बजट अनुमान की जानकारी एवं बजट संबंधी अन्य सूचनायें,

(v) माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा मुख्य बजट के लिये विधान सभा में दिया गया भाषण, बजट के मुख्य आकर्षण की जानकारी, विधान सभा में प्रस्तुत अनुपूरक अनुमानों की जानकारी,

(vi) बजट संबंधी शब्दावली एवं प्रयुक्त होने वाले कोड की जानकारी,

(vii) बजट संबंधी प्रश्न (query) विभिन्न मांग संख्यावार, मुख्य शीर्षवार एवं राजस्व प्राप्तियों, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय एवं लोक लेखा संबंधित जानकारी।

(viii) महालेखाकार के अंकेक्षण प्रतिवेदन

(ix) वित्त विभाग के सूचना के अधिकार संबंधी जानकारी

7.4 कम्प्यूटरीकृत बजट

संचालनालय द्वारा कम्प्यूटरीकृत बजट बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है, जिसके अंतर्गत मुद्रा साफ्टवेयर का विकास किया गया है। इसकी सहायता से विभागों के बजट प्रस्ताव कम्प्यूटर साफ्टवेयर (mudra) के माध्यम से प्राप्त किये गये। इससे जहां विभागीय कार्यालयों को बजट बनाने में सुविधा हुई, वहीं बजट प्रस्तावों के संकलन एवं परीक्षण में वित्त विभाग को काफी सुविधा हुई। इस साफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न सूचनायें तैयार की जा सकती हैं। इसके द्वारा बजट प्रस्तावों का परीक्षण करने में विशेष सहायता प्राप्त हुई है। सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों से उनके बजट प्रस्ताव उन्हें उपलब्ध कराई गई सी.डी. में निर्धारित प्ररूप में लिये जा रहे है।

अध्याय 8
मध्य प्रदेश वित्त निगम

8.1 सामान्य जानकारी

भारत सरकार द्वारा पारित अधिनियम राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य में कार्य करने हेतु वर्ष 1955 में मध्य प्रदेश वित्त निगम, स्थापित किया गया । देश में लगभग सभी राज्यों में एक वित्त निगम की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व में इन समस्त वित्त निगमों को पुनर्वित्त प्रदान करने की व्यवस्था की गई । तत्पश्चात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त कर इन वित्त निगमों का संचालन किया जाता रहा है । साथ ही, राज्य सरकारों का वित्त निगमों में अंशपूंजी के रूप में महत्वपूर्ण योगदान है।

8.2 मुख्य उददेश्य

(1) मध्य प्रदेश राज्य में लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों, व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्रों में उद्यमों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

(2) राज्य के अविकसित एवं पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने, विशेषकर जहां वाणिज्यिक बैंको द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है ।

(3) राज्य का संतुलित क्षेत्रीय विकास करने हेतु कार्य करना ।

(4) विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की योजनाओं एवं राज्य शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा रोजगार के नये अवसर निर्मित करना ।

8.3 उपलब्धियां

स्थापना दिनांक से 31.10.2005 तक निगम द्वारा निम्नानुसार महत्वपूर्ण योगदान दिया गया :-

(1) राज्य में कुल 11,500 (लगभग) औद्योगिक इकाईयों को ऋण प्रदान कर प्रदेश का विकास।

(निगम द्वारा स्वीकृत तथा वितरित ऋण का विवरण तालिका 8.1 में दिया गया है)

(2) राज्य के पिछड़े क्षेत्रों जैसे धार, रतलाम, मन्दसौर, सीधी, छतरपुर, पन्ना, शहडोल, दमोह, सागर इत्यादि क्षेत्रों में इकाईयों की स्थापना।

(3) निगम द्वारा प्रदत्त वित्त के फलस्वरूप रोजगार के अवसर निर्मित किये गये।

8.4 राज्य में पूंजी विनियोजन

मध्य प्रदेश वित्त निगम को अपनी ऋण योजनाएं क्रियान्वित करने के लिये विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त प्रदान किया जाता है। साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रतिवर्ष औसतन 50 करोड़ रूपये वित्त निगम के माध्यम से विनियोजन एवं धनराशि आकर्षित की जा सकती है।

(1) निगम द्वारा गत 5 वर्षों में सतत् परिचालनगत वृद्धि की गयी ।

तालिका 8.1

(रूपये करोड में)

वित्तीय वर्ष	ऋण राशि स्वीकृत	वितरित ऋण राशि	वसूली
2001-2002	98.55	66.05	103.16
2002-2003	107.02	74.97	107.52
2003-2004	56.45	41.83	83.10*
2004-2005	162.22	11.00	90.43
2005-2006	110.87 (31.12.2005 तक)	59.38	41.65

* छत्तीसगढ़ विभाजन के पश्चात शेष मध्यप्रदेश का व्यवसाय

(2) निगम वर्ष 2004 तक अपनी समस्त देनदारियों का समय पर भुगतान करता आया है एवं राष्ट्रीय स्तर के बैंको एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा निगम को पूर्ण समर्थन दिया जाता रहा है।

(3) राज्य में अविकसित पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगो की स्थापना में निगम की प्रभावी भूमिका हैं एवं इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने निगम के वित्तीय प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए एक वित्तीय पुनर्संरचना पैकेज दिनांक 18.3.2004 को निष्पादित किया गया जिसका अनुमोदन राज्य शासन द्वारा कर दिया गया है एवं 1.4.2003 से प्रभावशील हो गया है। उक्त प्रस्ताव के अंतर्गत निगम को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई है :-

(अ) शेष ऋण राशि के भुगतान पर दो वर्ष का अवकाश काल,

(ब) शेष राशि का अगले 10 वर्षो के लिए पुनर्निर्धारण,

(स) भविष्य में समय पर भुगतान पर 2 प्रतिशत की छूट,

(द) पुनः वित्त एवं लाईन आफ क्रेडिट पर ब्याज की दर 2 प्रतिशत घटाना ।

उक्त सुविधा के फलस्वरूप निगम की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है।

(4) प्रदेश में औद्योगिकीकरण की संभावना और रोजगार के अवसरों को दृष्टिगत रखते हुए निगम ने कई नई ऋण योजनाएं प्रारंभ की है, जिनमें प्रत्यक्ष रूप से रोजगार निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इन योजनाओं द्वारा नए उद्योगो के अतिरिक्त सेवा एवं व्यवसाय इत्यादि क्षेत्रों में भी ऋण प्रदान किया जा रहा है।

(5) राष्ट्रीय स्तर पर अन्य वित्त निगमों के साथ संगठित होकर निगम द्वारा यह पहल की जा रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक, उन समस्त वाणिज्यिक बैंको एवं वित्तीय संस्थाओं को यह निर्देश दें कि वे निगम के बॉण्ड्स पर वर्तमान ब्याज की दर (औसत 11.85 प्रतिशत) को घटाकर वर्तमान बाजार दर 6 प्रतिशत पर लाये। उक्त पहल सफल होने की अवस्था में निगम की लाभप्रदता में सुधार अवश्यम्भावी है।

8.5 सुधार के प्रयास

निगम के खर्चो पर नियंत्रण के लिए सुदृढ बजट समर्थन प्रणाली जारी रखी गई, और इसके फलस्वरूप परिचालन व्यय में कटौती की जा सकी । वर्ष 2001-2002 में परिचालन व्यय रूपये 167.00 लाख था, जो वर्ष 2002-2003 में घटकर रूपये 146.00 लाख एवं वर्ष 2003-04 में रुपये 117.00 लाख, 2004-05 में 116.76 लाख रह गया है। निगम द्वारा 4 वर्षो में स्टाफ में कोई नई नियुक्ति (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को छोड़कर) नहीं की गई है। अलाभकारी शाखा कार्यालयों को बंद किया गया है। निगम ने परिचालन व्यय में कमी लाने के लिए 12 व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति प्रदान की ।

निगम द्वारा उच्च लागत के बाण्डस को कम ब्याज दर के ऋण द्वारा भुगतान करने का प्रयास जारी है। इस संबंध में हडकों द्वारा 68 करोड रुपये स्वीकृत किये जा चुके है एवं सिडबी से उक्त भुगतान के लिये 15 करोड रुपये प्राप्त हो चुके है।

आई.डी.बी.आई. से समझोता कर निगम ने ब्याज में रुपये 411.60 लाख की छूट प्राप्त की।

निगम ने वर्ष 2004-05 में परिचालन लाभ रुपये 10.14 लाख अर्जित किया है।

8.6 आय में वृद्धि के प्रयास

औद्योगिक ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त निगम द्वारा परियोजनाओं के मूल्यांकन, नगर निगमों के बॉण्ड का प्रबंधन, विभिन्न ईकाइयों की सम्पत्ति का तकनीकी मूल्यांकन, इफ्को टोकियों, जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेट के साथ संयुक्त उपक्रम में बीमा के क्षेत्र में कार्य तथा उच्च लागत वाले बॉण्ड्स का समय पर भुगतान जैसे प्रयास किये है।

8.7 निगम द्वारा उठाये गये ग्राहक हितैषी कदम

13.5 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर वाले ऋण की ब्याज दर घटाई गई है। निगम ने भारत सरकार द्वारा घोषित प्रोन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने पर लघु उद्योग इकाईयों को ऋण की मात्रा के 12 प्रतिशत तक पूंजीगत राजकीय सहायता प्रदान करने की योजना तैयार की है। निर्यातोन्मुखी इकाईयों एवं विशेष आर्थिक झोन में स्थापित होने वाली इकाईयों को प्रचलित ब्याज दर से 2 प्रतिशत कम दर पर ऋण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में दूरस्थ अंचल में निगम द्वारा 9 नये व्यवसाय विकास केन्द्र यथोचित अधिकार विकेन्द्रीकरण प्रारम्भ किए गए है जिनके संतोषजनक परिणाम प्राप्त हो रहे है। अधिग्रहित की गई सम्पति के उन खरीददारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना कार्यान्वित की, जो बंद ईकाई को पुनः कार्यशील करना चाहते हैं।

अध्याय 9

प्राविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड

9.1 सामान्य जानकारी

प्राविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी की स्थापना ग्वालियर राज्य द्वारा सन् 1926 में की गई थी। ग्वालियर राज्य एवं अन्य निकायों के पास उपलब्ध धन का विनियोग मुम्बई में सर शपुरजी ब्रोचा एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् श्री एफ.ई. दिनशा द्वारा किया गया। यह निगम कम्पनीज अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है।

9.2 उद्देश्य

कम्पनी का मुख्य व्यवसाय अंशो एवं ऋणपत्रों में वेष्ठित विनियोगों का क्रय-विक्रय एवं उन पर लाभांश एवं ब्याज प्राप्त करना एवं कम्पनी की सम्पत्तियों का प्रबंध करना है।

9.3 कम्पनी की वित्तीय स्थिति

तालिका 9.1 में दर्शायी गयी है। कम्पनी द्वारा वर्ष 2005-06 में रूपये 3.50 करोड़ के लाभ का लक्ष्य रखा था जिसमें से कम्पनी ने अभी तक लगभग रूपये 1.94 करोड रूपये लाभ अर्जित कर लिया है।

ताालिका 9.1

(राशि लाखों में)

विवरण	**2003-2004**	**2004-2005**	**2005-2006 (दिनांक 31.11.2005 तक)**
अंश पूंजी	49.66	49.66	49.66
संचित लाभ	680.29	1029.72	1174.62
आय	288.31	402.91	274.56
व्यय	108.01	110.05	79.57
लाभ/हानि	180.30	292.86	194.99
लाभांश	60 प्रतिशत भुगतान	*	*

*** कम्पनी के अर्जित लाभ का 20 प्रतिशत के अनुसार चुकता पूंजी पर लाभांश का प्रतिशत तय करना**

अध्याय 10

मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

10.1 राज्य शासन की अधोसंरचना परियोजनाएं

वित्तीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, 2000 के अधीन मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का गठन किया गया।

10.2 परियोजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था

बोर्ड द्वारा राज्य शासन से अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं हेतु वित्तीय व्यवस्था का प्रस्ताव प्राप्त होने पर धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है। बोर्ड द्वारा बी.ओ.टी. सड़क परियोजना हेतु वर्ष 2001-2002 में बॉण्ड जारी करके रूपये 79.95 करोड़ तथा वर्ष 2002-2003 में हुडको से ऋण के रूप में रूपये 420.05 करोड़ (कुल रूपये 500 करोड़) की व्यवस्था की है। हुडको से सम्पूर्ण राशि रुपये 420.05 करोड प्राप्त किये जा चुके है। माह जनवरी, 2006 तक बी.ओ.टी. सडक परियोजना हेतु मध्यप्रदेश सडक विकास निगम को रुपये 403.262 करोड उपलब्ध कराये गये है।

अध्याय 11

विभागाध्यक्षों के लिए बजट प्रावधान एवं व्यय

11.1 संचालनालय, कोष एवं लेखा

वर्ष 2004-2005 में रुपये 23.54 करोड का बजट स्वीकृत हुआ, जिसमें से माह मार्च, 2005 तक का व्यय रुपये 20.74 करोड किया गया। वर्ष 2005-2006 में रुपये 23.99 करोड का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें से माह नवम्बर, 2005 तक रुपये 15.85 करोड व्यय किये गये हैं।

11.2 संचालनालय, बीमा तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा

वर्ष 2005-2006 में रुपये 9.76 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ जिसमें से माह दिसम्बर,2005 तक का व्यय रुपये 8.06 करोड़ किया गया।

11.3 संचालनालय, संस्थागत वित्त

वर्ष 2005-2006 में रुपये 90.52 लाख का बजट आबंटन प्राप्त हुआ जिसमें से 31 दिसम्बर, 2005 तक रुपये 59.89 लाख का व्यय किया गया।

11.4 संचालनालय, पेंशन

वर्ष 2005-2006 में रुपये 46.05 लाख का बजट प्रावधानित है। जिसमें से दिसम्बर, 2005 तक रुपये 32.54 लाख का व्यय किया गया।

11.5 संचालनालय अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज

वर्ष 2005-2006 में रुपये 34.28 करोड बजट प्रावधान के विरुद्ध 31 दिसम्बर,2005 तक रुपये 13.61 करोड़ का व्यय हुआ है।

11.6 संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली,

वर्ष 2005-2006 में संचालनालय के व्यय हेतु रुपये 33.56 लाख का बजट स्वीकृत किया गया था, जिसके विरुद्ध दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 तक रुपये 14.63 लाख का व्यय किया गया।

अध्याय 12

सामान्य प्रशासनिक विषय

वित्तीय वर्ष 2002-2003 में वित्त विभाग द्वारा वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करने तथा विकास कार्यो के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से विभागों को अधिकाधिक वित्तीय अधिकार दिये गये हैं। विभाग द्वारा यह भी प्रयास किया गया है कि वित्तीय अधिकारों को पारदर्शी बनाया जाए। शासकीय योजनाओं के परीक्षण तथा अलाभकारी योजनाओं पर होने वाले व्यय को रोकने की दृष्टि से योजनाओं के परीक्षण, पंजीयन, स्वीकृति एवं समीक्षा के लिए कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया गया है। इस वर्ष विभाग के द्वारा कर्मचारी कल्याण के अनेक कार्य किये गये जिनका विस्तृत विवरण भाग चार में दिया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में वित्त विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक का आयोजन भी किया गया । वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिये मध्यप्रदेश उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 लागू किया गया है।

अध्याय 13

अभिनव योजना

13.1 (1) प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों के पे-रिकार्ड डाटाबेस संधारित किये गये जिसके आधार पर वेतन देयक कोषालय के कम्प्यूटर द्वारा तैयार किये जा सकेंगे। इस व्यवस्था की पाईलेट टेस्टिंग की जा रही है।

13.1 (2) बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा आहरण अधिकारियों को जारी किये गये आबंटन की प्रविष्टि सेन्ट्रल सर्वर पर साफ्टकॉपी के माध्यम से करायी जा रही है इस व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाने के उददेश्य से बजट नियंत्रण अधिकारियों को इंटरफेस उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से अपने कार्यालय से ही सीधे बजट आबंटनों की प्रविष्टि सेन्ट्रल सर्वर पर कराई जा सकेगी।

13.1 (3) परियोजनान्तर्गत साईबर ट्रेजरी का संचालन प्रस्तावित है जिसके फलस्वरुप जन सामान्य इन्टरनेट के माध्यम से शासकीय राशि के चालान खजाने में जमा करा सकेगे।

13.1 (4) शासकीय लेन-देन सम्पादित करने वाले समस्त बैंकों एवं कोषालयों के मध्य इंटरफेस स्थापित किया जा रहा है, जिससे बैंकों में जमा कराई गई राशि तथा डेबिट स्क्रोल की इलेक्ट्रानिक जानकारी त्वरित रुप से प्राप्त हो सके।

13.2 सेवानिवृत्ति दिनांक पर समस्त पेंशनरी स्वत्वो का भुगतानः- सेवानिवृत्ति के पूर्व ही पेंशनर के समस्त स्वत्वों का निराकरण हो जाये, इस उद्देश्य से कोषालयीन कम्प्यूटराईजेशन परियोजना के अंतर्गत आगामी दो वर्षो में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवको की सूची स्वतः प्राप्त किये जाने की व्यवस्था रखी गयी है । इस सूची के आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण की समीक्षा की जा सकेगी। पेंशन गणना पत्रक तथा प्राधिकार पत्र कम्प्यूटर साफ्टवेयर के माध्यम से जारी किये जा रहे है, इससे प्राधिकार पत्र जारी करने में शीघ्रता आयेगी। कोषालयों में हो रहे पेंशन कार्यो की मानिटरिंग करने हेतु संचालक, पेंशन कार्यालय के ओ.एस.डी. माडयूल में अनेक रिपोर्ट प्रावधानित है, जिससे कई स्तरों पर हो रहे पेंशन कार्य की समीक्षा की जा सकेगी। साथ ही, संबंधित शासकीय सेवक उनके बारे में एम्पलाई कोड के आधार पर स्वतः जानकारी वेबसाईट से ले सकेंगें । यह जानकारी कोषालय की website-www.mp treasury.in पर उपलब्ध रहेगी । सभी कार्यालय प्रमुख एवं संबंधित कर्मचारी इस वेबसाईट को देख सकेंगे।

13.3 पेंशनरों की सुविधा के लिये पेंशन वेब साईट :- मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये एवं उनकी शिकायतों के निवारण के लिये इस कार्यालय में पेशंन संबंधी जानकारी, निर्देश आदि के लिये एक वेबसाईट विकसित की गई है, जिसमें सेवानिवृत्त होने वाले अथवा हो चुके कर्मचारियों /अधिकारियों के बारे में कठिनाई संबंधी शिकायत ई-मेल के माध्यम से दर्ज की जा सकती है । यदि कर्मचारी /अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके है एवं उनके पक्ष में पी.पी.ओ. जारी किया जा चुका है, तो वे शिकायत में अपना पी.पी.ओ. क्रमांक, कार्यालय का नाम दर्ज कर वेब साईट सुविधा का लाभ ले सकते हैं। यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त होने जा रहे तथा उन्हें कोई समस्या है तो अपने कार्यालय का नाम, अपना नाम, पद, सेवानिवृत्त की तारीख आदि की सूचना इस साईट पर अंकित कर इस सुविधा का लाभ ले सकते है। पेंशनरों के लिये तैयार वेबसाईट का पता www.mpgovt.nic.in\mppension है। संचालनालय द्वारा पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु पूर्व में एक मार्गदर्शिका तैयार की गई थी, जिसमें पेंशन प्रक्रिया एवं नियमों के सरलीकरण के संदर्भ में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। इस तारतम्य में संचालनालय, पेंशन द्वारा एक नवीन मार्गदर्शिका तैयार की गई है। एकीकृत कोषालयीन कम्प्यूटराईजेशन परियोजना अंतर्गत भी एक बेवसाईट तैयार की गई है, जिसका पता www.mptreasury.org है। इस वेबसाईट पर भी पेंशनरों से संबंधित जानकारी उपलब्ध है।

13.4 कोषालय बैंक इंटरफेस :- वर्ष 2004 से कोषालय बैंक इंटरफेस की प्रक्रिया लागू की गई है, जिसके माध्यम से बैंको में प्राप्त राज्य की आय एवं व्यय की जानकारी इलेक्ट्रानिक माध्यम से कोषालयों में प्रेषित करने की व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक की भोपाल स्थित सुल्तानिया रोड, हमीदिया रोड शाखा का डाटा जिला कोषालय, भोपाल में प्रेषित किया जा रहा है। शीघ्र ही स्टेट बैंक के द्वारा यह व्यवस्था अन्य जिलो में की जाना प्रस्तावित किया गया है। इस प्रक्रिया में कोषालयों में डाटा एन्ट्री का कार्य कम होगा तथा राज्य के आय-व्यय की त्वरित जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

वर्ष 2004-2005 में 3 नान बैंकिंग उपकोषालयों को बैंकिंग उपकोषालय में परिवर्तित कराया गया है। परिवर्तन के पश्चात् बैंकिंग उपकोषालयों की संख्या 158 एवं नान बैंकिंग उप कोषालय की संख्या 01 है।

अध्याय 14

विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम/नियम/विधायी आदेश

विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम

1. आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1957
2. स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973)
3. मध्यप्रदेश लाटरी अधिनियम 1973 (क्रमांक 9 सन् 1975)
4. राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 (केन्द्रीय शासन का अधिनियम)
5. मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम
6. मध्यप्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987
7. मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम , 2000
8. मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000
9. मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम,2005 (क्रमाक 18 सन 2005)
10. मध्यप्रदेश वित्त संहिता
11. मध्यप्रदेश कोषागार संहिता
12. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976
13 मध्यप्रदेश सिविल सेवा (छुट्टी) नियम
14. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (यात्रा) नियम
15. वेतन निर्धारण नियम
16. मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि नियम
17. मध्यप्रदेश राज्य सरकार प्रतिभूति नियम 1976
18. मध्यप्रदेश मूलभूत नियम
19. वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका
20. मध्यप्रदेश धन परिचलन योजना (प्रतिरोध) 1975
21. मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि स्कीम , 2001
22. मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण नियम, 2003

अध्याय 15

सारांश

वित्त विभाग द्वारा राज्य के आय-व्यय का बजट तैयार करने और आय के नये स्त्रोतों को तलाशने, शासकीय व्यय में बचत के उपाय करने संबंधी कार्यो के लिये 9 बजट शाखायें है, जिनमें विभागवार बजट का कार्य आबंटित है। कार्य के शीघ्र निराकरण के उद्देश्य से सचिवों को विभागवार दायित्व सौपा गया है। योजनाओं के पुनरीक्षण कार्य के लिए 3 वित्तीय समितियां गठित की गई हैं। वित्त विभाग द्वारा बनाये गये नियमों / अधिनियमों से संबंधित कार्यो के लिए नियम शाखा है, एवं विभाग के अधीनस्थ विभागाध्यक्षों के स्थापना संबंधी कार्य हेतु स्थापना शाखा है।

संचालनालय, कोष एवं लेखा भोपाल में स्थित है। संचालनालय की मुख्य गतिविधियां राजकोष प्रशासन का नियंत्रण, पेंशन एवं वेतन निर्धारण, लेखा प्रशिक्षण, कोष निरीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षण, मध्यप्रदेश वित्त सेवा, अधीनस्थ लेखा सेवा तथा अन्य राज्य स्तरीय सेवाओं का व्यवस्थापन है। प्रदेश में 53 जिला कोषालय एवं 159 उपकोषालय है, 7 संभागीय कार्यालय, 7 लेखा प्रशिक्षण शालाएं भी हैं। संचालनालय द्वारा कोषालयों, उपकोषालयों एवं संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन के कार्यो के कम्प्यूटराईजेशन की प्रक्रिया पूर्णता पर है।

संचालनालय, बीमा तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा का मुख्यालय ग्वालियर में स्थित है। संचालनालय द्वारा बीमा कार्य के अतिरिक्त स्थानीय निकायों तथा स्वशासी संस्थाओं के लेखाओं की संपरीक्षा म.प्र. स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम के अंतर्गत संपादित की जाती है।

संचालनालय, संस्थागत वित्त भोपाल में स्थित है। संचालनालय द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लाभ हेतु भारत सरकार, राज्य शासन, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन में सामान्य सम्पर्क का कार्य निर्वाह कर पर्याप्त संस्थागत वित्त सुलभ कराना है।

संचालनालय, पेंशन को विभागाध्यक्ष का दर्जा दिया जाकर पेंशनर्स की समस्याओं के निराकरण्, पेंशन कार्य के अंकेक्षण, पेंशन कल्याण के कार्यो का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

संचालनालय, अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज भोपाल में स्थित है। संचालनालय के पास राज्य के विकास के लिये घरेलू अल्प बचतों का भारत सरकार की अल्प बचत योजनाओं में विनियोजन कराने संबंधी कार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में वर्तमान में लाटरी व्यवसाय पूर्णतः प्रतिबंधित है।

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली भोपाल में स्थित है। संचालनालय द्वारा बजट कार्य को कम्प्यूटर के माध्यम से संकलित किया जाता है। वार्षिक बजट संबधी अन्य आवश्यक सूचनाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। संचालनालय द्वारा वित्त विभाग की वेबसाईट भी विकसित की गई है। इस वेबसाईट पर विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी, विधान सभा में प्रस्तुत किए गए मुख्य बजट की जानकारी, आदि उपलब्ध है। विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश वित्त निगम संचालित है। निगम का मुख्यालय इन्दौर में है। निगम द्वारा प्रदेश में औद्यौगिकीकरण को गतिशील बनाने के उददेश्य से कार्य-मियादी ऋण प्रदान करने के साथ साथ व्यवसाय के विविध क्षेत्रों में भी ऋण प्रदान किया जाता है। निगम द्वारा शासन की नीति के अनुरुप अपने कार्य कलापों के विस्तार एवं तकनीकी उन्नयन आदि पर विशेष बल दिया गया है। पश्चिमी क्षेत्र के राज्य वित्त निगमों की तुलना में मध्यप्रदेश वित्त निगम का प्रदर्शन वर्ष 2000-2001 में सर्वश्रेष्ठ रहा। भारतीय औधोगिकी विकास बैंक ने अपने पश्चिमी क्षेत्र के वित्त निगम की समीक्षा रिपोर्ट में इस तथ्य का विशेष रुप से उल्लेख किया है।

विभाग के अंतर्गत प्रोविडेन्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुम्बई में है। कम्पनी का मुख्य कार्य पूंजी निवेश कर लाभ कमाना है। कम्पनी की सम्पत्ति केरल राज्य में भी है। यह कम्पनी निरन्तर लाभ में चल रहीं है।

----------000----------

परिशिष्ट 1

वित्त विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय

1. राज्य की संचित निधि
2. राज्य की आकस्मिकता निधि
3. राज्य का लोक लेखा
4. राज्य का लोक ऋण
5. वार्षिक वित्तीय विवरण के प्रारूप तथा विषय वस्तु, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान और आपवादिक अनुदान और बजट प्रक्रिया से संबंधित सभी विषय
6. विनियोग बिल
7. पुनर्विनियोजन
8. अकाल सहायता निधि
9. प्राकृतिक आपदा सहायता निधि का गठन उसमें धन का विनियोग और उससे धन के प्रत्याहरण का प्राधिकरण
10. अर्थोपाय व्यवस्था
11. संसाधन
12. वित्तीय संसाधन बढ़ाने संबंधी सामान्य नीति
13. वित्त आयोग
14. स्थानीय निकायों के ऋण और अग्रिम धन
15. विनियोग लेखाओं, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और लोक लेखा समिति से संबंधित या उनसे उद्‌भूत होने वाले विषय
16. चलार्थ, टंकण और मान्य सिक्का विदेशीय विनिमय
17. महाजनी (बैंकिग) और महाजनी (बैंकिंग) समवाय
18. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा
19. संघ निवृत्ति वेतन
20. राज्य निवृत्ति वेतन तथा निवृत्ति वेतन नियम
21. निवृत्ति वेतन का एक मुश्त दान

22. अनुकम्पा निधि
23. अल्प बचत योजना
24. कोषागार
25. राज्य लॉटरी
26. चिट फण्ड
27. व्यय नियंत्रण संबंधी नियम और विनियोग इकाईयों के संबंध में विनिर्धारण
28. वर्तमान मूल नियमों ओर उसके अधीन सहायक नियमों के तत्स्थानी नियम
29. भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 (2) और 284 के अधीन निधि और नियम, समस्त निधियों की अभिरक्षा, सुरक्षा और उनको उचित रूप से काम में लाने के विनियमक सहायक नियम
30. वित्तीय प्रक्रिया के विनियामक नियम ओर वाणिज्य लेखाओं को सम्मिलित करते हुए लेखा रखने संबंधी समस्त नियम
31. भविष्य निधि नियम
32. वाहन, गृह निर्माण ओर अन्य विधि अग्रिम धन के और इस प्रयोजन के लिए निधियों के आवंटन के विनियामक नियम
33. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम तथा संबंधित मामले
34. अन्तर्राष्ट्रीय तौर से सहायतित परियोजनाओं का परिवीक्षण
35. संस्थागत वित्त

ऐसी सेवाओं से संबंद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ- नियुक्तियां, पदस्थापनाएं,स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन।

परिशिष्ट 2

संस्थाओं का विवरण जिनका आडिट संचालनालय बीमा तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा किया जाता है

क्रमांक	**संस्था का नाम**	**संख्या**
1.	नगर निगम	14
2.	नगर पालिकायें	85
3	नगर पंचायत	235
4	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	02
5	विकास प्राधिकरण	05
6	विश्वविद्यालय	12
7	शहरी विकास प्राधिकरण	45
8	कषि उपज मंडी समिति	238
9	जिला पंचायत	45
10	जनपद पंचायत	313
11	ग्राम पंचायत	22029
12	पशु कल्याण समिति	36
13	रोगी कल्याण समिति	360
14	माध्यमिक शिक्षा मण्डल	01
15	पाठय पुस्तक निगम	01
16	तकनीकी संस्थाये	05
17	महाविद्यालय/हाईस्कूल/प्राथमिक विद्यालय	552
18	विधिक सहायता बोर्ड	46
19	मुख्य मंत्री सहायता कोष	46
20	चैरिटी बाक्सेस	1194
	कुल	**25264**

परिशिष्ट-3

वाह्य वित्त पोषित परियोजनाएं

1. चालू परियोजनाएं

परियोजना का नाम	विभाग का नाम	परियोजना लागत (रूपये करोड़ में)	बाह्य वित्त पोषित एजेंसी का नाम
म.प्र.जल क्षेत्र पुर्नसंरचना	जल संसाधन विभाग	1919.00	विश्व बैंक
राजघाट नहर परियोजना	जल संसाधन विभाग	597.81	जे.बी.आई.सी.
भागीदारी व्यवस्था अंतर्गत सिंचाई प्रणाली प्रबंधन	जल संसाधन विभाग	15.84	आई.सी.ई.एफ.
शहरी जल प्रदाय एवं पर्यावरण सुधार परियोजना	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	1366.00	ए.डी.बी.
सड़क क्षेत्र में सुधार प्रोजेक्ट ऋण	लोक निर्माण विभाग	1176.30	ए.डी.बी.
सड़क क्षेत्र में सुधार प्रोग्राम ऋण	लोक निर्माण विभाग	400.00	ए.डी.बी.
विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना ऋण	उर्जा विभाग	1350.00	ए.डी.बी.
इंदिरा गांधी गरीबी हटाओं कार्यक्रम	ग्रामीण विकास विभाग	555.80	विश्व बैंक
म.प्र.ग्रामीण आजीविका परियोजना	ग्रामीण विकास विभाग	115.00	डी.एफ.आई.डी.
विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन एवं सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढीकरण	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	133.28	डी.एफ.आई.डी.
तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	तकनीकी शिक्षा विभाग	50.45	विश्व बैंक
विस्तृत वाटर शेड विकास परियोजना	कृषि विभाग	12.48	डेनिडा
मध्यप्रदेश कृषि में महिलाओं की भागीदारी परियोजना	कृषि विभाग	13.12	डेनिडा
सामुदायिक वन प्रबंधन	वन विभाग	7.38	विश्व बैंक
	कुल योग	**7714.46**	

2. प्रस्तावित परियोजनाएं

परियोजना का नाम	विभाग का नाम	परियोजना लागत (रूपये करोड़ में)	बाह्य वित्त पोषित एजेंसी का नाम
प्रदेश के राज्य मार्ग एवं एम.डी.आर. सडकों के निर्माण/सुधार	लोक निर्माण विभाग	1600.00	ए.डी.बी.
सतपुडा थर्मल पावर स्टेशन की युनिट क्रमांक 6 एवं 7 के रिपेयर मेटिनेंस/ रिफर्बिशमेंट	उर्जा विभाग	308.00	इण्डो जर्मन बाई लेटरल सहायता
मालवा थर्मल पावर स्टेशन से पावर इवेक्यूएशन ट्रांसमिशन	उर्जा विभाग	416.80	जापान ओ.डी.ए. ऋण
ट्रांसमिशन सिस्टम में सुधार	उर्जा विभाग	1300.00	ए.डी.बी.

भाग - एक

विभाग की संरचना एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों से संबंधित जानकारी

भाग - दो

बजट एक दृष्टि में

भाग - तीन

सामान्य प्रशासनिक विषय

भाग - चार

अभिनव योजना नवाचार

भाग - पांच

विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम एवं नियम

भाग - छः

सारांश